

# हरियाणा विधान सभा

चौदहवीं हरियाणा विधान सभा के चौदहवें

(दिसम्बर) सत्र, 2023 में

हरियाणा विधान सभा

द्वारा

किये गये कार्यों का सार

जिसमें परिशिष्ट दैनिक बुलेटिन भी शामिल हैं।



हरियाणा विधान सभा सचिवालय चंडीगढ़  
दिसम्बर, 2023

## प्रस्तावना

निम्नलिखित पृष्ठों में 15 दिसम्बर, 2023 से 19 दिसम्बर, 2023 तक आयोजित चौदहवीं विधान सभा के चौदहवें सत्र के दौरान किए गए कार्यों के साथ सभा की बैठक स्थगित होने के बाद जारी बुलेटिन भी शामिल हैं।

आशा है कि यह प्रकाशन उन सदस्यों और अन्य लोगों द्वारा उपयोगी पाया जाएगा जो उपरोक्त तिथियों को विधान सभा द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं।

भविष्य में इस प्रकाशन के और सुधार के लिए किसी भी सुझाव का स्वागत किया जाएगा।

चंडीगढ़  
दिनांक 25.01.2024

सचिव।

## सामग्री तालिका

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	मंत्री परिषद आदि के संबंध में विवरण	
2.	हरियाणा विधान सभा में पार्टी की दलवार स्थिति	
3.	हरियाणा विधान सभा का आह्वान, बैठकें और सत्रावसान	
4.	कार्यक्रम का अवलोकन	
5.	समितियां	
6.	सभापतियों के नामों की सूची	
7.	अनुपस्थिति के संबंध में सूचना	
8.	संदर्भ	
9.	वित्तीय कार्य	
10.	विधायी कार्य	
11.	विधेयकों का सारांश	
12.	प्रस्ताव— (i) सरकारी (ii) गैर सरकारी	
13.	रिपोर्ट प्रस्तुत की गई/रखी गई	
14.	कागज पत्र प्रस्तुत किये गये/रखे गये/पुनः रखे गये	
15.	नियम 66-67 के तहत स्थगन प्रस्ताव	
16.	नियम 73 के तहत ध्यानाकर्षण सूचनाएं	
17.	नियम 73 क के तहत अल्पकालिक चर्चा	
18.	नियम 84 के अधीन प्रस्ताव	
19.	मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्य	
20.	दिये गये भाषणों और उस पर लगने वाले समय का तुलनात्मक विवरण	
21.	प्रश्नों से संबंधित आंकड़े	
22.	प्रश्नों का विवरण	
23.	तिथिवार दिये गये उत्तर/नहीं रखे गये/स्थगित कर दिये गये तारांकित प्रश्नों का विवरण	
24.	नियम 45(1) के तहत सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के उत्तर की तिथिवार संख्या दर्शाने वाला विवरण	
25.	विभिन्न मंत्रियों के नामों में तारांकित प्रश्नों की संख्या दर्शाने वाला तिथिवार विवरण।	
26.	बहिर्गमन	
27.	परिशिष्ट बुलेटिन (दिसम्बर)सत्र, 2023	

मंत्री परिषद आदि के संबंध में विवरण

19.12.2023 तक ।

**अध्यक्ष**

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता

**उपाध्यक्ष**

श्री रणबीर गंगवा

**मुख्य मंत्री**

श्री मनोहर लाल

**उप मुख्य मंत्री**

श्री दुष्यंत चौटाला

**मंत्रीगण**

1. श्री अनिल विज, गृह मंत्री
2. श्री कंवर पाल, स्कूल शिक्षा मंत्री
3. पंडित मूलचंद शर्मा, परिवहन मंत्री
4. श्री रणजीत सिंह, ऊर्जा मंत्री
5. श्री जय प्रकाश दलाल, कृषि मंत्री
6. डॉ बनवारी लाल, सहकारिता मंत्री
7. डॉ कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री
8. श्री देवेन्द्र सिंह बबली, विकास एवं पंचायत मंत्री

**राज्य मंत्री**

1. डॉ ओम प्रकाश यादव, सैनिक तथा अर्ध सैनिक कल्याण
2. श्रीमती कमलेश ढांडा, महिला एवं बाल विकास
3. श्री अनूप धानक, श्रम
4. सरदार संदीप सिंह, मुद्रण तथा लेखन सामग्री

**विधान सभा के सचिव**

श्री आर.के. नांदल

-----

हरियाणा विधानसभा में पार्टी की दल वार स्थिति  
19.12.2023 तक ।

1. माननीय अध्यक्ष	01
2. भारतीय जनता पार्टी	40
3. इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी	30
4. जननायक जनता पार्टी	10
5. इंडियन नेशनल लोक दल	01
6. हरियाणा लोकहित पार्टी	01
7. निर्दलीय	07

-----

कुल 90

-----

## हरियाणा विधान सभा का आह्वान, बैठक और सत्रावसान

राज्यपाल के दिनांक 1 दिसंबर, 2023 के आदेश द्वारा चौदहवीं हरियाणा विधान सभा को दिनांक 15 दिसंबर, 2023 को हरियाणा विधान सभा, विधान भवन, चण्डीगढ़ के हाल में इसके चौदहवें सत्र/अधिवेशन के लिए आहूत किया गया था जो कि दिनांक 19 दिसंबर, 2023 तक बैठक के अनवरत काल के लिए स्थगित होने तक जारी रहा। बाद में दिनांक 19 दिसंबर, 2023 को राज्यपाल के आदेश द्वारा इसका सत्रावसान कर दिया गया।

सत्र के दौरान, सभा की 3 बैठकें हुईं, जो कि अपनाया गया कार्यक्रम में देखा जा सकता है।

-----

**चौदहवीं हरियाणा विधान सभा द्वारा 15 दिसंबर, 2023 से 19 दिसंबर, 2023 तक आयोजित अपने चौदहवें सत्र के दौरान अपनाया गया कार्यक्रम।**

दिनांकित	कार्यक्रम
शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2023 (प्रातः 11:00 बजे से सायं 4.18 बजे तक)	1. शोक प्रस्ताव (विवरण के लिए शीर्षक 'शोक प्रस्ताव' के अंतर्गत देखें).
	2. कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना।
	3. सरकारी संकल्प हरियाणा राज्य गीत के चयन के बारे में (अध्यक्ष महोदय ने मुख्यमंत्री की बात पर सहमति जताते हुए कहा कि इस बारे में दिनांक 19.12.2023 को निर्णय कर लिया जाएगा.)  )संकल्प/विवरण देखने के लिए 'संकल्प' शीर्षक देखें(
	4. विशेषाधिकार मामलों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।
The Chairperson of the Committee of Privileges	I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of Privilege given following notice dated 21 <sup>st</sup> February, 2023 of by Shri Jogi Ram, MLA and Shri Anoop Dhanak, MLA against Shri Abhay Singh Chautala, MLA, that:- "Shri Abhay Singh Chautala has brought certain wrong and misleading facts regarding the land acquired near/for the purpose of Hisar Airport, etc. Thus, by giving false and wrong facts, knowingly, intentionally and deliberately. He has lowered the prestige, status and dignity of the House particularly and members specially. The act of the said member, therefore, clearly constitutes Breach of Privilege, that too on the Floor of House. Besides this, the conduct of Shri Abhay Singh Chautala towards other member(s) remained unwarranted and unparliamentary, while he was speaking in the House." The matter was referred by the House to the Committee of Privileges on 21 <sup>st</sup> February, 2023. The Committee was required to make a report to the House by the first sitting of the next Session i.e., on 15 <sup>th</sup> December, 2023. The Committee has discussed the matter in its meetings held on 19.07.2023, 03.10.2023 & 18.10.2023 and decided to take the oral evidence of Shri Jogi Ram, MLA and Shri Anoop Dhanak, MLA on 02.08.2023, 18.10.2023 &

दिनांकित	कार्यक्रम
	<p>08.11.2023 respectively. However, the Hon'ble Members have not appeared before the Committee on all the three occasions for oral evidence. Further, the Committee in its meeting held on 06.12.2023 decided to give last opportunity to Shri Jogi Ram, MLA and Shri Anoop Dhanak, MLA to appear before the Committee on 27.12.2023 for oral evidence. As the issue is under active consideration of the Committee and needs detailed examination and mandatory procedural aspects to be followed therefore, the Committee recommends more time for making the final report, therefore, I also beg to move that the time for presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next session.”.</p>
	<p>5. विधायी कार्य</p> <p>क) पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक, 2023</li> <li>2. हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023</li> <li>3. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023</li> </ol>
<p>सोमवार, 18 दिसम्बर, 2023 (प्रातः 11:00 बजे से सायं 6.16 बजे तक)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. शोक प्रस्ताव (विवरण के लिए शीर्षक 'शोक प्रस्ताव' के अंतर्गत देखें)</li> <li>2. वर्ष 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 के लिए अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगों पर प्रस्तुतीकरण, चर्चा तथा मतदान।</li> <li>3. नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2023–2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) प्रस्तुत करना।</li> <li>4. नेवा पोर्टल के माध्यम से प्राक्कलन समिति की वर्ष 2023–24 के अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।</li> <li>5. वर्ष 2023–2024 के लिए अनुपूरक अनुमानों (दूसरी किस्त) पर चर्चा तथा मतदान।</li> </ol> <p>6. विधायी कार्य</p> <p>(क) (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक, 2023</li> </ol>



दिनांकित	कार्यक्रम
	<p>2. हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 को वापिस लेना।</p> <p>3. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023</p>
<p>मंगलवार, 19 दिसम्बर, 2023 (प्रातः 11:00 बजे से सायं 6.40 बजे तक)</p>	<p>1. नियम 15 के अधीन दिन की कार्यवाही को विधान सभा की बैठक ' नियम के प्रावधानों से अनिश्चितकाल के लिए छूट देने बाबत प्रस्ताव।</p> <p style="text-align: right;">(स्वीकृत हुआ।)</p> <p>2. विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के संबंध में नियम 16 के तहत प्रस्ताव।</p> <p style="text-align: right;">(स्वीकृत हुआ।)</p> <p>3. कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना।</p> <p>4. सदन में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 15.12.2023 को प्रस्तावित राज्य गीत के चयन से संबिधत सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा का पुनरारम्भण (दिनांक 19.12.2023 को अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से हरियाणा राज्य गीत के चयन के लिए एक 5 सदस्यीय विधान सभा की कमेटी का गठन करने की घोषणा की।)</p> <p>5. <u>विधायी कार्य-</u></p> <p>(क) पुरःस्थापित, विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक</p> <p>1. हरियाणा विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2023</p> <p>2. हरियाणा विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 2023</p>

-----

## समितियां

### (i) कार्य सलाहकार समिति

[नियम 33 (1) और (3)] के तहत 10 जनवरी, 2020 को नामांकित]

दिनांक 14.12.2023 को सांय 4:00 बजे हुई समिति की बैठक में निम्नलिखित उपस्थित

थे:-

- |    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | श्री ज्ञानचंद गुप्ता, माननीय अध्यक्ष             | पदेन अध्यक्ष |
| 2. | श्री मनोहर लाल, माननीय मुख्यमंत्री               | सदस्य        |
| 3. | श्री दुष्यंत चौटाला, माननीय उपमुख्यमंत्री        | सदस्य        |
| 4. | श्री अनिल विज, माननीय गृह मंत्री                 | सदस्य        |
| 5. | श्री कंवर पाल, माननीय संसदीय कार्य मंत्री        | सदस्य        |
| 6. | श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, माननीय नेता प्रतिपक्ष | सदस्य        |
| 7. | श्री रणबीर गंगवा, माननीय उपाध्यक्ष               | सदस्य        |

-----

**(i)(a) कार्य सलाहकार समिति**  
[नियम 33 (1) और (3)] के तहत 10 जनवरी, 2020 को नामांकित]

दिनांक 19.12.2023 को दोपहर 12:30 बजे हुई समिति की दूसरी बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1.	श्री ज्ञानचंद गुप्ता, माननीय अध्यक्ष	पदेन अध्यक्ष
2.	श्री मनोहर लाल, माननीय मुख्यमंत्री	सदस्य
3.	श्री दुष्यंत चौटाला, माननीय उपमुख्यमंत्री	सदस्य
4.	श्री अनिल विज, माननीय गृह मंत्री	सदस्य
5.	श्री कंवर पाल, माननीय संसदीय कार्य मंत्री	सदस्य
6.	श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, माननीय नेता प्रतिपक्ष	सदस्य
7.	श्री रणबीर गंगवा, माननीय उपाध्यक्ष	सदस्य

-----

## (ii) लोक लेखा समिति

माननीय अध्यक्ष महोदय ने वर्ष 2023-24 के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों को नामित करने के लिए दिनांक 22 फरवरी, 2023 को सदन में हुई हरियाणा विधान सभा की बैठक में पारित किए गये प्रस्ताव द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, वर्ष 2023-24 के लिए लोक लेखा समिति का दिनांक 26 अप्रैल, 2023 को गठन किया गया | दिनांक 30 अगस्त, 2023 से 19 दिसंबर, 2023 तक समिति में निम्नलिखित चेयरपर्सन/सदस्य रहे :-

1. श्री वरुण चौधरी, विधायक	चेयरपर्सन
2. श्रीमती सीमा त्रिखा, विधायक	सदस्य
3. श्री राम कुमार कश्यप, विधायक	सदस्य
4. श्री नरेन्द्र गुप्ता, विधायक	सदस्य
5. श्री भव्य बिशनोई, विधायक	सदस्य
6. श्री अमित सिहाग, विधायक	सदस्य
7. श्री सुरेन्द्र पंवार, विधायक	सदस्य
8. श्री जोगी राम सिहाग, विधायक	सदस्य
9. श्री रणधीर सिंह गोलन, विधायक	सदस्य

-----

### (iii) प्राक्कलन समिति

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 26 अप्रैल, 2023 को हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बंधी नियमावली के नियम 233(2) के तहत वर्ष 2023-2024 के लिए प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था | दिनांक 30-08-2023 से 19-12-2023 तक की अवधि के दौरान इस समिति में निम्नलिखित सभापति/सदस्य रहे: -

1. श्री मोहन लाल बडोली, विधायक	सभापति
2. राव दान सिंह, विधायक	सदस्य
3. श्री जयवीर सिंह, विधायक	सदस्य
4. श्री गोपाल कांडा, विधायक	सदस्य
5. श्री सुभाष सुधा, विधायक	सदस्य
6. श्री प्रमोद कुमार विज, विधायक	सदस्य
7. श्री राजेश नागर, विधायक	सदस्य
8. श्री मेवा सिंह, विधायक	सदस्य
9. श्री बलराज कुंडू, विधायक	सदस्य

### (iv) सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी समिति

हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 235 के तहत माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा 26 अप्रैल, 2023 को वर्ष 2023-24 के लिए सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति का गठन किया गया था | दिनांक 30.08.2023 से

19.12.2023 तक की अवधि के दौरान इस समिति में निम्नलिखित अध्यक्ष/सदस्य है:-

1. श्री असीम गोयल, विधायक	सभापति
2. श्री दुडा राम, विधायक	सदस्य
3. श्री प्रदीप चौधरी, विधायक	सदस्य
4. डॉ. कृष्ण लाल मिड्डा, विधायक	सदस्य
5. श्री सुधीर कुमार सिंगला, विधायक	सदस्य
6. श्री सीता राम यादव, विधायक	सदस्य
7. श्री चिरंजीव राव, विधायक	सदस्य
8. श्री कुलदीप वत्स, विधायक	सदस्य
9. श्री नीरज शर्मा, विधायक	सदस्य

-----

(v)नियम समिति  
(26 अप्रैल, 2023 को नामांकित)

1. श्री ज्ञान चन्द गुप्ता, अध्यक्ष	पदेन चेयरपर्सन
2. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, विधायक	सदस्य
3. श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	सदस्य
4. श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक	सदस्य
5. श्री घनश्याम दास अरोड़ा, विधायक	सदस्य
6. डॉ. अभय सिंह यादव, विधायक	सदस्य
7. श्रीमती नैना सिंह चौटाला, विधायक	सदस्य
8. श्री सुधीर कुमार सिंगला, विधायक	सदस्य

---

समिति का गठन हरियाणा विधानसभा सचिवालय अधिसूचना संख्या एचवीएस-  
एलए-67/2023/122, दिनांक 26 अप्रैल, 2023 द्वारा किया गया था।

-----

**(vi) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति**

हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 244(1) के तहत माननीय अध्यक्ष द्वारा 26 अप्रैल, 2023 को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का गठन किया गया था। 30.08.2023 से 19.12.2023 तक की अवधि के दौरान सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति में निम्नलिखित सभापति/सदस्य रहे:-

1.	श्री भारत भूषण बत्रा, विधायक	सभापति
2.	श्री राजेन्द्र सिंह जून, विधायक	सदस्य
3.	श्री दुड़ा राम, विधायक	सदस्य
4.	श्री महिपाल ढांडा, विधायक	सदस्य
5.	श्री आफताब अहमद, विधायक	सदस्य
6.	श्री सीता राम यादव, विधायक	सदस्य
7.	श्री बलबीर सिंह, विधायक	सदस्य
8.	श्री सुभाष गांगोली, विधायक	सदस्य
9.	श्री अमरजीत ढांडा, विधायक	सदस्य
10.	श्री इन्दु राज, विधायक	विशेष आमंत्रित

-----



(vi) (a) डबुआ सब्जी मंडी, फरीदाबाद में फड़ों (विक्रेताओं) के आवंटन में कथित घोटाले के मामले की जांच करने के लिए समिति

डबुआ सब्जी मंडी, फरीदाबाद में फड़ों (विक्रेताओं) के आवंटन में कथित घोटाले के मामले की जांच करने के लिए समिति माननीय अध्यक्ष द्वारा 30 जून, 2021 को मनोनीत की गई। 30.08.2023 से 19.12.2023 तक की अवधि के दौरान समिति में निम्नलिखित संयोजक/सदस्य रहे:-

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. श्री. घनश्याम दास अरोड़ा, विधायक | संयोजक |
| 2. श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक      | सदस्य  |
| 3. श्री दीपक मंगला, विधायक          | सदस्य  |
| 4. श्री नरेन्द्र गुप्ता, विधायक     | सदस्य  |

-----

**(vii) अधीनस्थ विधान समिति**

समिति को 26.04.2023 को हरियाणा विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना सं. HVS/SLC-1/2023-24/121, दिनांक 26 अप्रैल, 2023 द्वारा नामित किया गया था। दिनांक 30.08.2023 से 19.12.2023 तक समिति के निम्नलिखित सभापति/सदस्य रहे:-

1. श्री लक्ष्मण सिंह यादव, विधायक	सभापति
2. श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक	सदस्य
3. श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	सदस्य
4. श्री जयवीर सिंह, विधायक	सदस्य
5. डा. अभय सिंह यादव, विधायक	सदस्य
6. श्री अमित सिहाग, विधायक	सदस्य
7. श्री इन्दुराज, विधायक	सदस्य
*8. श्री घनश्याम सर्राफ, विधायक	सदस्य
9. महाधिवक्ता, हरियाणा	सदस्य

---

\*श्री घनश्याम सर्राफ, विधायक, को अधिसूचना संख्या HVS-SLC-1/2023-24/158 दिनांक 14.11.2023 के द्वारा समिति के सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए नामित किया गया।

-----

**(viii)आवास समिति**

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा 26 अप्रैल, 2023 को हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 265 के तहत वर्ष 2023-2024 के लिए आवास समिति का गठन किया गया था। दिनांक 30-08-2023 से 19-12-2023 तक की अवधि के दौरान इस समिति में निम्नलिखित पदेन सभापति/सदस्य रहे :-

- |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. श्री रणबीर गंगवा, माननीय उपाध्यक्ष | पदेन सभापति |
| 2. श्री हरविंद्र कल्याण, विधायक       | सदस्य       |
| 3. श्री आफताब अहमद, विधायक            | सदस्य       |
| 4. श्री राम कुमार गौतम, विधायक        | सदस्य       |
| 5. श्री रणधीर सिंह गोलन, विधायक       | सदस्य       |

-----

**(ix) अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े. वर्गों के कल्याण सम्बन्धी समिति |**

**(26.04.2023 को नामांकित किया)**

हरियाणा विधान सभा सचिवालय के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 121 के अनुसार सदन द्वारा दिनांक 22 फ़रवरी, 2023 को पारित प्रस्ताव के माध्यम से वर्ष 2023-2024 के लिए विभिन्न दलों /समूहों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े. वर्गों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्यों को नामांकित करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया था। तत्पश्चात्, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा हरियाणा विधान सभा सचिवालय के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 266 (1) के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 के लिए, दिनांक 26.04.2023 को समिति का गठन किया गया | दिनांक 30.08.2023 से 19.12.2023 तक समिति के निम्नलिखित सभापति/सदस्य रहें :-

1.	श्री सत्य प्रकाश, विधायक	सभापति
2.	श्री लक्ष्मण नापा, विधायक	सदस्य
3.	श्री राजेश नागर, विधायक	सदस्य
4.	श्रीमति रेनू बाला, विधायक	सदस्य
5.	श्री शीशपाल सिंह, विधायक	सदस्य
6.	श्री चिरंजीव राव, विधायक	सदस्य
7.	श्री राम करण, विधायक	सदस्य
8.	श्री धर्मपाल गोंदर, विधायक	सदस्य

-----

## (x) विशेषाधिकार समिति

हरियाणा विधान सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 286 (1) के तहत माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 26.04.2023 को विशेषाधिकार समिति का गठन किया गया था। दिनांक 30.08.2023 से 19.12.2023 तक की अवधि के दौरान इस समिति में निम्नलिखित अध्यक्ष/सदस्य रहे हैं :-

1. श्री नरेन्द्र गुप्ता , विधायक	चेयरपरन
2. श्री बिशन लाल सैनी , विधायक	सदस्य
3. श्री हरविंद्र कल्याण , विधायक	सदस्य
4. श्री विनोद भ्याणा , विधायक	सदस्य
5. श्री दीपक मंगला , विधायक	सदस्य
6. श्री सत्य प्रकाश , विधायक	सदस्य
7. श्री वरुण चौधरी , विधायक	सदस्य
8 श्री अमरजीत ढांडा , विधायक	सदस्य
9 श्री कुलदीप वत्स , विधायक	सदस्य
10. श्री सोमबीर सांगवान , विधायक	सदस्य

-----

**(x) (a) शिष्टाचार मानदंडो के उल्लंघन और हरियाणा विधान सभा के सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों के अवमाननापूर्ण व्यवहार पर समिति |**

हरियाणा विधानसभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 204 के तहत माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 26 अप्रैल, 2023 को शिष्टाचार मानदंडो के उल्लंघन और हरियाणा विधान सभा के सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों के अवमाननापूर्ण व्यवहार पर समिति का गठन किया गया था | दिनांक 30.08.2023 से 19.12.2023 तक की अवधि के दौरान इस समिति में निम्नलिखित अध्यक्ष/सदस्य रहे हैं

:-

1.	श्री असीम गोयल, विधायक	सभापति
2.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	सदस्य
3.	श्रीमती सीमा त्रिखा, विधायक	सदस्य
4.	श्री भारत भूषण बत्तरा, विधायक	सदस्य
5.	श्री मोहन लाल बडोली, विधायक	सदस्य
6.	श्री प्रमोद कुमार विज, विधायक	सदस्य
7.	श्री जोगी राम सिहाग, विधायक	सदस्य
8.	श्रीमती रेणु बाला, विधायक	सदस्य
9.	श्री नयन पाल रावत, विधायक	सदस्य

-----

## (xi) याचिका समिति

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 268 के तहत वर्ष 2023-24 के लिए याचिका समिति का दिनांक 26 अप्रैल, 2023 को गठन किया गया। दिनांक 30.08.2023 से 19.12.2023 तक कमेटी को निम्नलिखित सदस्य रहे ।

1. श्री घनश्याम दास अरोड़ा, विधायक	सभापति
2. श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक	सदस्य
3. श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक	सदस्य
4. श्रीमती शकुंतला खटक, विधायक	सदस्य
5. श्री लीला राम, विधायक	सदस्य
6. श्री लक्ष्मण सिंह यादव, विधायक	सदस्य
7. श्री संजय सिंह, विधायक	सदस्य
8. श्री राम निवास, विधायक	सदस्य
9. श्री सोमबीर सांगवान, विधायक	सदस्य
10. श्री बिशम्बर सिंह, विधायक	विशेष आमंत्रित

.....

(xii) स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों से संबंधित समिति

(26 अप्रैल, 2023 को नामांकित)

माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 26 अप्रैल, 2023 को हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 272(1) के तहत वर्ष 2023-2024 के लिए स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित हरियाणा विधान सभा की समिति का गठन किया गया था दिनांक 30.08.2023 से 19.12.2023 तक इस समिति में निम्नलिखित सभापति, सदस्य व विशेष आमंत्रित सदस्य रहे:-

1. श्री राम कुमार कश्यप, विधायक	सभापति
2. श्री घनश्याम सर्राफ, विधायक	सदस्य
3. श्री जगदीश नायर, विधायक	सदस्य
4. श्री बिशन लाल सैनी, विधायक	सदस्य
5. श्री बिसम्बर सिंह, विधायक	सदस्य
6. श्री राम कुमार गौतम, विधायक	सदस्य
7. श्री नीरज शर्मा, विधायक	सदस्य
8. श्री सुरेंद्र पंवार, विधायक	सदस्य
9. श्री राकेश दौलताबाद, विधायक	सदस्य
10. श्री मामन खान, विधायक	विशेष आमंत्रित
11. श्री राम निवास, विधायक	विशेष आमंत्रित

-----



**(xiii) जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन तथा सडकें )**  
(26 अप्रैल, 2023 को नामांकित)

हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 274 (1) के तहत वर्ष 2023-2024 के लिए जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण(भवन तथा सडकें )सम्बन्धी विषय समिति के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 26 अप्रैल, 2023 को समिति का गठन किया गया I दिनांक 30.08.2023 से 19.12.2023 तक कमेटी के निम्नलिखित सदस्य रहे I

1.	श्री दीपक मंगला, विधायक	चेयरपर्सन
2.	मोहम्मद इलियास, विधायक	सदस्य
3.	श्री विनोद भ्याणा, विधायक	सदस्य
4.	श्री लीला राम, विधायक	सदस्य
5.	श्री धर्म सिंह छोक्कर, विधायक	सदस्य
6.	डॉ कृष्ण लाल मिड्डा, विधायक	सदस्य
7.	श्री प्रवीण डागर, विधायक	सदस्य
8.	श्री मामन खान, विधायक	सदस्य
9.	श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक	सदस्य
10.	श्री संजय सिंह, विधायक	विशेष आमंत्रित
11.	श्रीमती निर्मल रानी, विधायक	विशेष आमंत्रित

-----

(xiv) शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विषय समिति।

माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 26 अप्रैल, 2023 को हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 279-ए के तहत वर्ष 2023-2024 की अवधि के लिए शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विषय समिति का गठन किया गया था। दिनांक 30.08.2023 से 19.12.2023 तक इस समिति में निम्नलिखित सभापति, सदस्य और विशेष आमंत्रित रहे हैं:-

1. श्री ईश्वर सिंह, विधायक	सभापति
2. श्री जगदीश नायर, विधायक	सदस्य
3. श्रीमती निर्मल रानी, विधायक	सदस्य
4. श्री लक्ष्मण नापा, विधायक	सदस्य
5. श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक	सदस्य
6. श्रीमती शैली, विधायक	सदस्य
7. श्री शीशपाल सिंह, विधायक	सदस्य
8. श्री नयन पाल रावत, विधायक	सदस्य
9. मो. इलियास, विधायक	विशेष आमंत्रित
10. श्रीमती नैना सिंह चौटाला, विधायक	विशेष आमंत्रित

**(XIV) FACT-FINDING COMMITTEE OF HARYANA VIDHAN SABHA**

The Hon'ble Speaker, has been constituted a fact- finding committee on the matter of sexual harassment by the then principal (Mr. Kartar Singh) of Government Girls Senior Secondary School, Uchana mandi (jind) for the period from 2005 to 2023 of all the incidents mentioned/discussed in the house in its sitting dated 15th and 18th December, 2023. The Committee constituted vide notification No. 154-EA-2023/168, dated 22nd December, 2023 the following member shall be serve on the said Committee.

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Shri Kanwar Pal, Hon'ble School Education Minister | Chairman |
| 2. Shri Aseem Goel, MLA                               | Member   |
| 3. Shri Bharat Bhushan Batra, MLA                     | Member   |
| 4. Shri Amarjeet Dhanda, MLA                          | Member   |

**Special Invitee**

1. Advocate General, Haryana

.....

## (xv) हरियाणा राज्य गीत चयन के लिए समिति

प्रस्तुत है कि दिसंबर 2023 में आयोजित हरियाणा विधान सभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन की सहमति से हरियाणा राज्य गीत के चयन के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा हरियाणा राज्य गीत का चयन करने के लिए निम्नलिखित सभापति/सदस्यों की समिति गठित की गई है :-

1. श्री लक्ष्मण सिंह यादव, विधायक	सभापति
2. श्री बिशम्बर सिंह, विधायक	उप-सभापति
3. श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक	सदस्य
4. श्री जोगी राम सिहाग, विधायक	सदस्य
5. श्री नीरज शर्मा, विधायक	सदस्य

इस संबंध में हरियाणा विधान सभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना क्रमांक 154 ई.ए.-2023/169 दिनांकित 22 दिसंबर 2023 जारी की गई है। इस अधिसूचना के अनुसार के समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

-----

## सभापतियों के नामों की सूची

माननीय अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 05 दिसम्बर 2023 को हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 13 (1) के तहत दिसम्बर सत्र 2023 के लिए चेयरपर्सनज के नामों की सूची में निम्नलिखित सदस्यों को नामजद किया है:-

1. श्री मोहन लाल बडोली, विधायक
2. श्रीमती निर्मल रानी, विधायक
3. श्री वरुण चौधरी, विधायक
4. श्री ईश्वर सिंह, विधायक

-----

## अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

- (क) माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्री अमित सिहाग, विधायक से ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि वे दिनांक 15.12.2023 को पारिवारिक समारोह में शामिल होने के कारण सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
- (ख) माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्री राजेश नागर, विधायक से ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि वे दिनांक 15.12.2023 को पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए अहमदाबाद गए हुए हैं इसलिए वे आज दिनांक 15.12.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
- (ग) माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्री धर्मपाल गोंदर, विधायक से ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि वे भारत संकल्प यात्रा में व्यस्त होने के कारण आज दिनांक 15.12.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
- (घ) माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्री राकेश दौलाताबाद, विधायक से ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि जरूरी कारणों से उनको चंडीगढ़ से बादशाहपुर वापस जाना पड़ा है इसलिए वे आज दिनांक 15.12.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
- (ङ) माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्री महीपाल ढांडा, विधायक से ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि वे अस्वस्थ होने के कारण आज दिनांक 15.12.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

- (च) माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्रीमती किरण चौधरी, विधायक से दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि जरूरी कार्य होने के कारण वे आज दिनांक 15.12.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकती हैं।
- (छ) माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्रीमती कमलेश ढांडा, राज्य मंत्री, हरियाणा से दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके भतीजे का आकस्मिक निधन हो गया है इसलिए वे आज दिनांक 18.12.2023 और 19.12.2023 को होने वाली सदन की बैठकों में उपस्थित नहीं हो सकती हैं।
- (ज) माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्री राकेश दौलताबाद, विधायक से ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि जरूरी कारणों से उनको चंडीगढ़ से बादशाहपुर वापस जाना पड़ा है इसलिए वे दिनांक 18.12.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
- (झ) माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्री भव्य बिश्नोई, विधायक से ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी और उनके छोटे भाई की शादी समारोह की तैयारियों की व्यवस्था के चलते वे दिनांक 18.12.2023 और 19.12.2023 को होने वाली सदन की बैठकों में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
- (ञ) माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्री प्रमोद कुमार विज, विधायक से ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे आज दिनांक 19.12.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

## संदर्भ

मुख्यमंत्री महोदय ने 15 दिसंबर, 2023 को स्वर्गीय:-

1. प्रोफेसर छत्तर सिंह चौहान, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष;
2. डॉ० राम प्रकाश, हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री;
3. हरियाणा के शहीद;
4. अन्य।

के देहावसान का उल्लेख किया तथा 5 मिनट भाषण दिया।

प्रतिपक्ष के नेता, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, ने 5 मिनट भाषण दिया।

अध्यक्ष महोदय ने भी सदन में अभिव्यक्त की गई भावनाओं के साथ अपने आप को सम्मिलित किया तथा 2 मिनट भाषण दिया।

यह निश्चित किया गया कि शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजे जाएं।

दिवंगतों की पुण्य-स्मृति के प्रति सम्मान के रूप में सभा ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण किया।

मुख्यमंत्री महोदय ने 18 दिसम्बर, 2023 को श्रीमती कमलेश ढांडा के भतीजे श्री देवेन्द्र ढांडा; तथा लेफ्टिनेंट अक्षत; जिला हिसार, के देहावसान का उल्लेख किया तथा 2 मिनट भाषण दिया।

उप मुख्यमंत्री ने भी कुछ पल के लिए भाषण दिया।

इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री वरुण चौधरी ने एक मिनट भाषण दिया।

अध्यक्ष महोदय ने भी सदन में अभिव्यक्त की गई भावनाओं के साथ अपने आप को सम्मिलित किया तथा कुछ पल के लिए भाषण दिया।

यह भी निश्चित किया गया कि शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजे जाएं।

दिवंगतों की पुण्य-स्मृति के प्रति सम्मान के रूप में सभा ने खड़े होकर एक मिनट के लिए मौन धारण किया।



विधान सभा की ओर से शोक एवं सहानुभूति का संदेश निम्नानुसार भेजा गया:-

Sr. No.	Name of Deceased	Name of the person/Authority to whom message of condolence was sent.
1	2	3
1.	Professor Chhattar Singh Chauhan, former Speaker, Haryana Legislative Assembly	Smt. Sumitra Devi W/o Late Professor Chhattar Singh Chauhan, former Speaker of Haryana Legislative Assembly, Village Bond Kalan, District Charkhi Dadri.
2.	Dr. Ram Prakash, former Minister of State, Haryana	Smt. Vijaya Prakash, W/o Late Dr. Ram Prakash, former Minister of State, Haryana, House No. 1635, Sector 13, Kurukshetra.
<b>3.</b>	<b>Martyrs of Haryana</b>	
i.	Major Ashish Dhonchak, Village Binjhol, District Panipat.	Smt. Jyoti W/o Late Major Ashish Dhonchak, House No. 27, Block-A, TDI, Near Toll Plaza, Panipat.
ii.	Captain Poonam Rani, Village Balu, District Kaithal.	Shri Rameshwar Dass Fauji F/o Late Captain Poonam Rani, Village Balu, District Kaithal.
iii.	Subedar Sarjeet Singh, Village Alakhpura, District Bhiwani.	Smt. Santosh Devi W/o Late Subedar Sarjeet Singh, Village Alakhpura, District Bhiwani.
iv.	Naib Subedar Ashok, Village Bhaini Chanderpal, District Rohtak.	Smt. Sarita W/o Late Naib Subedar Ashok, Village Bhaini Chanderpal, District Rohtak.
v.	Assistant Sub Inspector Dharambir Singh, Village Farmana, District Sonapat.	Smt. Neelam Devi W/o Late Assistant Sub Inspector Dharambir Singh, Village Farmana, District Sonapat.
vi.	Havildar Maan Singh, Village Ganwari Jat, District Mahendragarh.	Smt. Sumitra Devi W/o Late Havildar Maan Singh, Village Ganwari Jat, District Mahendragarh.
vii.	Havildar Shamsher Singh, Village Kherainti, District Rohtak.	Smt. Asha Rani W/o Late Havildar Shamsher Singh, Village Kherainti, District Rohtak.

viii.	Havildar Sudhir Singh, Village Bhaini Chanderpal, District Rohtak.	Smt. Renu Devi W/o Late Havildar Sudhir Singh, Village Bhaini Chanderpal, District Rohtak.
ix.	Havildar Rakesh Lamba, Village Barda, District Mahendragarh.	Smt. Yashwanti Devi W/o Late Havildar Rakesh Lamba, Village Barda, District Mahendragarh.
x.	Commando Karan Singh, Village Kakroli Hatti, District Charkhi Dadri.	Smt. Suman Devi W/o Late Commando Karan Singh, Village Kakroli Hatti, District Charkhi Dadri.
xi.	Naik Mahender, Village Garhipatti, District Palwal.	Smt. Aarti Devi W/o late Naik Mahender, Village Garhipatti, District Palwal.
xii.	Naik Sandeep Kumar, Village Mundsda, District Jhajjar.	Smt. Renu W/o Late Naik Sandeep Kumar, Village Mundsda, District Jhajjar.
xiii.	Naik Virender Rathee, Village Rajlu Garhi, District Sonipat.	Smt. Meena W/o Late Naik Virender Rathee, Village Rajlu Garhi, District Sonipat.
xiv.	Airman Vikas, Village Rata Khurd, District Mahendragarh.	Shri Vishnu Dutt F/o Late Airman Vikas, Village Rata Khurd, District Mahendragarh.
xv.	Sepoy Sandeep, Village Kurahwata, District Mahendragarh.	Smt. Santosh Devi W/o Late Sepoy Sandeep, Village Kurahwata, District Mahendragarh.
xvi.	Sepoy Yudhishtir, Village Khambi, District Palwal.	Shri Rishidev F/o Late Sepoy Yudhishtir, Village Khambi, District Palwal.
xvii.	Sepoy Jawahar Singh, Village Kharkhari, District Rewari.	Smt. Neelam W/o Late Sepoy Jawahar Singh, Village Kharkhari, District Rewari.
xviii.	Sepoy Jaspal Singh, Village Kewal, District Sirsa.	Smt. Ratandeep Kaur W/o Late Sepoy Jaspal Singh, Village Kewal, District Sirsa.
<b>4.</b>	<b>Brave Soldier</b>	
i.	Lieutenant Akshat, District Hisar	Shri Prakash Swami F/o Late Lieutenant Akshat, Government Colony, Mill Gate, Hisar.

5.	Common	
i.	Shri Ranjan Mittal, brother in law of Shri Gian Chand Gupta, Speaker of Haryana Legislative Assembly	Shri Gian Chand Gupta, Speaker, Haryana Legislative Assembly, Kothi No 49, Sector-2, Chandigarh.
ii.	Rao Arjun Singh, nephew of Rao Inderjit Singh, Union Minister of State.	Rao Inderjit Singh, Union Minister of State, Kothi No. 6, Lodhi Estate, New Delhi.
iii.	Shri Devender Dhanda, nephew of Smt. Kamlesh Dhanda, Minister of State, Haryana.	Smt. Kamlesh Dhanda, Minister of State, Haryana, House No. 1674/4, Rajendra Seth Colony, Kaithal.
iv.	Smt. Shakuntala Rani, mother of Smt. Sunita Duggal, MP	Smt. Sunita Duggal, MP, House No. 449, Sector 20, Sirsa.
v.	Shri Mohammad Hanif, father of Shri Mamman Khan, MLA.	Shri Mamman Khan, House No. 433/2, Village Bhadas, Nagina, District Nuh.
vi.	Shri Virender Kumar Sharma, brother in law of Shri Ram Kumar Gautam, MLA.	Shri Ram Kumar Gautam, MLA, House No. 1593, Sector-13, Hisar.
vii.	Smt. Vijay Laxmi, aunt of Shri Neeraj Sharma, MLA.	Shri Neeraj Sharma, MLA, House.No.1623, Jawahar Colony, N.I.T. Faridabad.
viii.	Shri Ganga Sahay, brother in law of Shri Kuldeep Vats, MLA.	Shri Kuldeep Vats, MLA, Ward No. 6, Near Hari Mandir Ashram, Pataudi, District Gurugram.

## वित्तीय कार्य

### **I. Excess Demands Over Grants for the years-2019-2020, 2020-2021 and 2021-2022.**

Excess Demands Over Grants for the years 2019-2020, 2020-2021 and 2021-2022 are presented on the 18<sup>th</sup> December, 2023 and discuss and voted on the same day i.e. 18<sup>th</sup> December, 2023. There were 2 Demands for Grants totaling a sum of ₹153,39,29,460/- for the year 2019-2020, 1 Demand for Grant totaling a sum of ₹219263603/- for the year 2020-2021 and 1 Demand for Grant totaling a sum of ₹63,43,10,825 /- for the year 2021-2022.

The Excess Demands Over Grants totaling a sum of ₹3,99,421 for the Year 2021-2022 are charged and same are not voted in the House.

According to the previous practice and to save the time of the House all the demands for Grants on order paper for the year 2019-2020, 2020-2021 and 2021-2022 were deemed to have been read and moved together and general discussion on the demands were permitted.

Smt. Geeta Bhukkal, MLA, Shri Aftab Ahmed, MLA and Shri Bharat Bhushan Batra, MLA from Indian National Congress were spoken 3,2 and 2 minutes respectively.

Demand Nos. 8 and 23 for the year 2019-2020 were put together and carried.

Demand Nos. 35 for the year 2020-2021 was put and carried.

Demand Nos. 7 for the year 2021-2022 was put and carried.

### **II. THE SUPPLEMENTARY ESTIMATES –2023-2024 (SECOND INSTALMENT)**

The Supplementary Estimates- 2023-2024 (Second Instalment) were presented by the Finance Minister to the Sabha on the 18<sup>th</sup> December, 2023 and voted on the same day i.e. 18<sup>th</sup> December, 2023.

There were 10 Demands in all totaling ₹1290,07,09,133/-.

According to previous practice and to save the time of the House, the demands on the order paper (No. 3 to 6, 10, 12, 15, 17 & 19 to 20) were deemed to have been read and moved together and a general discussion on the Supplementary Demands permitted. The Members were requested to indicate the demand No. on which they wished to raise discussion.

S/Shri Bharat Bhushan Batra, MLA, Shamsher Singh Gogi, MLA, Meva Singh, MLA, Bishan Lal, MLA Neeraj Sharma, MLA, Kuldeep Vats, MLA, Shishpal Singh, MLA, Pardeep Chaudhary, MLA, Varun Chaudhary, MLA, Induraj, MLA, Rao Dan Singh, MLA, Jaiveer, MLA, Jagbir Singh Malik, MLA Raghbir Singh Kadian, MLA, Balbir Singh, MLA and Maman Khan, MLA from Indian National Congress were spoken 9, 3, 2, 1, 2, 5, 2, 1, 4, 3, 1, 1, 4, 8, 3 and 4 minutes respectively.

S/Shri Ram Kumar Gautam, MLA, Jagdish Nayar, MLA, Jogi Ram Sihag, MLA and Lakshman Napa, MLA from treasury benches were spoken 5, 1,2 and 1 minute(s) respectively.

Shri Balraj Kundu, MLA has spoken 2 minutes.

Demand Nos. 3 to 6 were put together and carried.

Demand No. 10 was put and carried.

Demand No. 12 was put and carried.

Demand No. 15 was put and carried.

Demand No. 17 was put and carried

Demand Nos. 19 to 20 were put together and carried.

### **III THE HARYANA APPROPRIATION (NO.5) BILL, 2023.**

The Haryana Appropriation (No.5) Bill, 2023 (Bill No.21-HLA of 2023) in respect of Supplementary Estimates for the year 2023-2024 (Second Instalment) voted by the House on the 19<sup>th</sup> December, 2023 was introduced and

considered on the 19<sup>th</sup> December, 2023. There were 10 Demands in all totaling a sum of ₹1290,07,09,133/-.

The Bill was passed.

#### **IV THE HARYANA APPROPRIATION (NO. 6) BILL, 2023.**

The Haryana Appropriation (No.6) Bill, 2011 (Bill No. 22-HLA of 202023) in respect of Excess Demands Over Grants for the years 2019-2020, 2020-2021, and 2021-2022 voted by the House on 19<sup>th</sup> December, 2023 was introduced and considered on the 19<sup>th</sup> August, 2023. There were 2 Demands for Grants totaling a sum of ₹153,39,29,460/- for the year 2019-2020, 1 Demand for Grant totaling a sum of ₹21,92,63,603/- for the year 2020-2021 and 1 Demand for Grant totaling a sum of ₹63,43,10,825 /- for the year 2021-2022.

The Bill was passed.

-----

## विधायी कार्य

सभा ने 15.12.2023, 18.12.2023 और 19.12.2023 को विधायी कार्य पर विचार किया। सभा ने वर्ष 2023-2024 के अनुपूरक अनुमानों (दूसरी किस्त) एवं वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के लिए अनुदानों एवं विनियोगों से अधिक माँगों के संबंध में दो विनियोग विधेयकों सहित चार (4) विधेयकों को पारित किया (तालिका देखें) ।

## तालिका

Sr. No.	Title of the Bill	Bill No	Minister for Move Introducing/ Passing	Date of Introducing	Date of Consideration	Number of Speeches		Time taken in minutes		Amendment Proposed	Amendment Carried	Amendment Lost	Total approximate time taken for disposal in minutes (includes the time taken for stating the motion)	Date of passing
						T- O- I	T- O- I	T- O- I	T- O- I	T- O- I				
1.	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023	Bill No. 18- HLA of 2023	उच्चतर शिक्षा मंत्री	15.12.2023	18.12.2023	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3	18.12.2023	
2.	हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक, 2023	Bill No. 20- HLA of 2023	उप मुख्यमंत्री	15.12.2023	18.12.2023	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	7	18.12.2023	
3.	हरियाणा विनियोग (संख्या 5 ) विधेयक, 2023	Bill No. 21- HLA of 2023	मुख्यमंत्री	19.12.2023	19.12.2023	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3	19.12.2023	
4.	हरियाणा विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 2023	Bill No. 22- HLA of 2023	मुख्यमंत्री	19.12.2023	19.12.2023	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3	19.12.2023	

T- Treasury  
O- Opposition  
I- Independent

-----



## विधेयकों का सारांश

### **SYNOPSIS OF THE BILLS PASSED BY THE HARYANA VIDHAN SABHA DURING DECEMBER SESSION, 2023.**

1. The Haryana Settlement of Outstanding Dues (Amendment) Bill, 2023 (**Bill No. 18-HLA of 2023**) (**Introduced on 15.12.2023 and passed on 18.12.2023**). This Bill seeks to amend the Haryana Settlement of Outstanding Dues Act, 2017 with a view to enable the Government to cover the period of 1<sup>st</sup> Quarter of the Financial Year 2017-18 remained out of the scope of Haryana Act No. 35 of 2017 and the Scheme. The Government has decided to cover the remaining period upto 30<sup>th</sup> June, 2017.
2. The Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2023 (**Bill No. 20-HLA of 2023**) (**Introduced on 15.12.2023 and passed on 18.12.2023**). This Bill seeks to amend the Haryana Private Universities Act, 2006 to setup of Sanskaram University in District Jhajjar.
3. The Haryana Appropriation (No. 5) Bill, 2023 (**Bill No. 21-HLA of 2023**) (**Introduced on 19.12.2023 and passed on 19.12.2023**). This Bill seeks to introduced in pursuance of articles 204 (1) and 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of Haryana of the sums required to meet the supplementary grants made by the Legislative Assembly for expenditure for the financial year 2023-24.
4. The Haryana Appropriation (No. 6) Bill, 2023 (**Bill No. 22-HLA of 2023**) (**Introduced on 19.12.2023 and passed on 19.12.2023**). This Bill seeks to introduced in pursuance of Article 204(1) of the Constitution of India, read with Article 205(1) thereof to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of Haryana for the moneys required to meet the expenditure on account of excess over grants and appropriations for the years 2019-20, 2020-21 and 2021-22.

-----

प्रस्ताव—  
(i) सरकारी

### हरियाणा राज्य गीत के चयन के बारे में।

मुख्यमंत्री महोदय ने अध्यक्ष की अनुमति से 15 दिसंबर, 2023 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:-

“यद्यपि हरियाणा राज्य 1 नवम्बर, 1966 को अस्तित्व में आया, लेकिन हरियाणा की पावन धरा पूर्व-वैदिक काल से ही गौरवशाली इतिहास, समृद्ध परंपराओं और संस्कृति का केंद्र रही है। आज हरियाणा प्रदेश की पहचान भारत के अग्रणी राज्यों में होती है। हरियाणा के लोगों ने सदैव देश की रक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

यद्यपि हरियाणा का अपना राज्य-चिह्न है, लेकिन प्रदेश का कोई राज्य-गीत नहीं है जो इसके इतिहास और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हो और जिसमें इसके लोगों के गुण और योगदान समाविष्ट हों। एक बार अपनाया गया राज्य गीत सभी हरियाणवियों को उनकी जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति से इतर, उन्हें एक नई गौरवपूर्ण पहचान प्रदान करेगा।

हमारे पास तीन विकल्प हैं, जिन्हें इस माननीय सदन के समक्ष राज्य गीत के रूप में विचारार्थ रखा जा रहा है। इन विकल्पों का चयन एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। इसमें समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से जनता से गीत आमंत्रित किये गये थे। इसके जवाब में 204 प्रविष्टियां मिलीं, जिनमें से इन 3 का चयन किया गया है। मैं राज्य गीत का चयन करने में इस माननीय सदन का समर्थन चाहता हूं। मुझे आशा है कि यह गीत इस सदन की और राज्य के लोगों के जिनका हम सभी प्रतिनिधित्व करते हैं की सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्त करेगा।

मैं इन तीन विकल्पों को आपके विचार के लिए प्रस्तुत करता हूँ और आपकी राय चाहता हूँ कि इन तीन विकल्पों में से किस गीत को प्रारंभ में आज से एक साल की अवधि के लिए राज्य गीत के रूप में अपनाया जाए।”

प्रस्ताव 15 दिसंबर, 2023 को प्रस्तुत हुआ तथा दिनांक 19.12.2023 को अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से हरियाणा राज्य गीत के चयन के लिए एक 5 सदस्यीय विधान सभा की कमेटी का गठन करने की घोषणा की।

.....

## (ii) गैर-सरकारी

1.	प्राप्त नोटिस की संख्या	सरकारी पक्ष - विपक्ष -	शून्य 2
2.	स्वीकृत हुए	सरकारी पक्ष - विपक्ष -	शून्य शून्य
3.	अस्वीकृत हुए	सरकारी पक्ष - विपक्ष -	शून्य 2
4.	समाप्त हुए	सरकारी पक्ष - विपक्ष -	शून्य शून्य
5.	वापस भेजे गए	सरकारी पक्ष - विपक्ष -	शून्य शून्य
6.	नवीकृत किये गए		शून्य
7.	जिनको इस निर्णय के कारण नहीं निपटाया गया कि किसी एक सदस्य के एक से अधिक संकल्पों को गैर अधिकारिक दिन के लिए स्वीकृत नहीं किया जायेगा		शून्य
8.	बैलट के लिए संकल्पों की कुल संख्या		शून्य
9.	आयोजित बैलटों की संख्या		शून्य
10.	जिस तारीख को बैलट हुआ		शून्य
11.	दिनांक जिस पर सरकारी कार्य के अलावा कार्य किया गया		शून्य

-----

("नेवा" पोर्टल के माध्यम से)  
रिपोर्ट प्रस्तुत की/रखी गई

क्रमांक	किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया	दिनांक	विषय
1.	अध्यक्ष	15.12.2023	कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट
2.	अध्यक्ष	19.12.2023	कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट

-----

कागज-पत्र प्रस्तुत किये गये/रखे गए /पुनः रखे गए			
क्रमांक	किसके द्वारा प्रस्तुत/रखे गए /पुनः रखे गए	तारीख जिस पर प्रस्तुत/रखे गए/पुनः रखे गए	विषय
1	2	3	4
1.	सचिव	15 दिसम्बर, 2023	हरियाणा विधान सभा ने अपने अगस्त, सत्र 2023 में पारित किए तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण नेवा पोर्टल के माध्यम से सादर सदन की मेज रखा।
2.	संसदीय कार्य मंत्री	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या6 /जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023मेज पर पुनः रखेंगे।
3.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या/7 जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023मेज पर पुनः रखेंगे।
4.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या/8 जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023मेज पर पुनः रखेंगे।
5.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या/9 जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023मेज पर पुनः रखेंगे।

6.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या/10 जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023मेज पर पुनः रखेंगे।
7.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या/11 जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023मेज पर पुनः रखेंगे।
8.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या/12 जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023मेज पर पुनः रखेंगे।
9.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या/13 जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023मेज पर पुनः रखेंगे।
10.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या/14 जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023मेज पर पुनः रखेंगे।

11.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या/15 जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023मेज पर पुनः रखेंगे।
12.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या/16 जी.एस.टी-2, दिनांकित 9 मई, 2023मेज पर पुनः रखेंगे।
13.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या/17 जी.एस.टी-2, दिनांकित 31मई, 2023मेज पर पुनः रखेंगे।
14.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या/33 जी.एस.टी-2, दिनांकित 2 7जुलाई, 2023मेज पर पुनः रखेंगे।
15.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या/34 जी.एस.टी-2, दिनांकित 2 7जुलाई, 2023मेज पर पुनः रखेंगे।
16.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या/35 जी.एस.टी-2, दिनांकित 2 7जुलाई, 2023मेज पर पुनः रखेंगे।



17.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या/36 जी.एस.टी-2, दिनांकित 2 7जुलाई, 2023मेज पर पुनः रखेंगे।
18.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या/37 जी.एस.टी-2, दिनांकित 2 7जुलाई, 2023मेज पर पुनः रखेंगे।
19.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या/38 जी.एस.टी-2, दिनांकित 7अगस्त, 2023मेज पर पुनः रखेंगे।
20.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या/39 जी.एस.टी-2, दिनांकित 7अगस्त, 2023मेज पर पुनः रखेंगे।
21.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या/40 जी.एस.टी-2, दिनांकित 7अगस्त, 2023मेज पर पुनः रखेंगे।
22.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या/41 जी.एस.टी-2, दिनांकित 7अगस्त, 2023मेज पर पुनः रखेंगे।

23.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या/42 जी.एस.टी-2, दिनांकित 7अगस्त, 2023मेज पर पुनः रखेंगे।
24.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या4 3/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 अगस्त, 2023मेज पर रखेंगे।
25.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या4 4/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 अगस्त, 2023मेज पर रखेंगे।
26.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या4 5/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 अगस्त, 2023मेज पर रखेंगे।
27.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या4 6/जी.एस.टी-2, दिनांकित 14 सितम्बर, 2023मेज पर रखेंगे।
28.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या4 7/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 सितम्बर, 2023मेज पर रखेंगे।

29.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या4 8/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 सितम्बर, 2023मेज पर रखेंगे।
30.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या4 9/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 सितम्बर, 2023मेज पर रखेंगे।
31.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 50/जी.एस.टी-2, दिनांकित 30 सितम्बर, 2023मेज पर रखेंगे।
32.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 51/जी.एस.टी-2, दिनांकित 30 सितम्बर, 2023मेज पर रखेंगे।
33.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 52/जी.एस.टी-2, दिनांकित 30 सितम्बर, 2023मेज पर रखेंगे।
34.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53/जी.एस.टी-2, दिनांकित 30 सितम्बर, 2023मेज पर रखेंगे।

35.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्टूबर, 2023मेज पर रखेंगे।
36.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्टूबर, 2023मेज पर रखेंगे।
37.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्टूबर, 2023मेज पर रखेंगे।
38.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 57/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्टूबर, 2023मेज पर रखेंगे।
39.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 58/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्टूबर, 2023मेज पर रखेंगे।
40.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 59/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्टूबर, 2023मेज पर रखेंगे।

41.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 60/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्टूबर, 2023मेज पर रखेंगे।
42.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 61/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्टूबर, 2023मेज पर रखेंगे।
43.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 62/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्टूबर, 2023मेज पर रखेंगे।
44.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 63/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 अक्टूबर, 2023मेज पर रखेंगे।
45.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 64/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 अक्टूबर, 2023मेज पर रखेंगे।
46.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 65/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 अक्टूबर, 2023मेज पर रखेंगे।

47.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 66/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 अक्टूबर, 2023मेज पर रखेंगे।
48.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 67/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 अक्टूबर, 2023मेज पर रखेंगे।
49.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 68/जी.एस.टी-2, दिनांकित 15 नवम्बर, 2023मेज पर रखेंगे।
50.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 69/जी.एस.टी-2, दिनांकित 23 नवम्बर, 2023मेज पर रखेंगे।
51.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार उर्जा विभाग अधिसूचना/विनियम संख्या एच.ई.आर.सी./46/2019/तृतीय संशोधन/2023 दिनांकित 12 अप्रैल,2023 मेज पर रखेंगे
52.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार उर्जा विभाग अधिसूचना/विनियम संख्या एच. ई. आर. सी./48/2020/ द्वितिय संशोधन/2023 दिनांकित 1 मई,2023 मेज पर रखेंगे

53.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार उर्जा विभाग अधिसूचना/विनियम संख्या एच. ई. आर. सी. / 59 /2023 दिनांकित 24 अप्रैल,2023 मेज पर रखेंगे
54.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) तथा 105(1) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग, पंचकुला की 20वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे
55.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	कम्पनी अधिनियम ,2013 की धारा39 5 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2021- 22के लिए बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
56.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 39(3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
57.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	कम्पनी अधिनियम ,2013 की धारा39 5(1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष20 18-19 के लिए हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
58.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड- 2 के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा सरकार के वित्त लेखों(भाग- 1तथा 2) को मेज पर रखेंगे
59.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड- 2 के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा सरकार के विनियोग लेखों को मेज पर रखेंगे

60.	उपर्युक्त	19 दिसम्बर, 2023	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 01/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2018, दिनांकित 16 फरवरी, 2018 मेज पर रखगे।
61.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 02/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2018, दिनांकित 16 फरवरी, 2018 मेज पर रखगे।
62.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 03/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2018, दिनांकित 16 फरवरी, 2018 मेज पर रखगे।
63.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 04/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2018, दिनांकित 7 अगस्त, 2018 मेज पर रखगे।
64.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 05/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2018, दिनांकित 7 अगस्त, 2018 मेज पर रखगे।



65.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 06/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2018, दिनांकित 7 अगस्त, 2018 मेज पर रखगे।
66.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 07/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2018, दिनांकित 5 दिसम्बर, 2018 मेज पर रखगे।
67.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 08/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2018, दिनांकित 5 दिसम्बर, 2018 मेज पर रखगे।
68.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 09/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2018, दिनांकित 5 दिसम्बर, 2018 मेज पर रखगे।
69.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 10/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2018, दिनांकित 5 दिसम्बर, 2018 मेज पर रखगे।

70.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 11/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2018, दिनांकित 5 दिसम्बर, 2018 मेज पर रखगे।
71.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 12/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2018, दिनांकित 5 दिसम्बर, 2018 मेज पर रखगे।
72.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 13/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2018, दिनांकित 6 दिसम्बर, 2018 मेज पर रखगे।
73.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 14/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2019, दिनांकित 14 फरबरी, 2019 मेज पर रखगे।
74.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 15/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2019, दिनांकित 14 फरबरी, 2019 मेज पर रखगे।

75.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 16/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2019, दिनांकित 26 फरबरी, 2019 मेज पर रखगे।
76.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 17/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2019, दिनांकित 10 मई, 2019 मेज पर रखगे।
77.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 18/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2020, दिनांकित 6 जुलाई, 2019 मेज पर रखगे।
78.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 19/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2020, दिनांकित 16 सितम्बर, 2020 मेज पर रखगे।
79.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 20/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2019, दिनांकित 21 सितम्बर, 2020 मेज पर रखगे।

80.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 21/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2020, दिनांकित 17 अगस्त, 2020 मेज पर रखगे।
81.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 22/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2021, दिनांकित 7 मई, 2021 मेज पर रखगे।
82.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 22/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2021, दिनांकित 21 अगस्त, 2021 मेज पर रखगे।
83.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 331/आर.ई.आर.पी.के.एल/ 2018, दिनांकित 9 फरबरी, 2018 मेज पर रखेंगे।
84.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 332/ आर.ई.आर.पी.के.एल/ 2018, दिनांकित 9 फरबरी, 2018 मेज पर रखेंगे।

85.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 333/आर.ई.आर.ए. .के.एल/ 2018, दिनांकित 9 फरबरी, 2018 मेज पर रखेंगे।
86.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 2694/आर.ई.आर.ए. पी.के.एल/ 2019, दिनांकित 16 जुलाई, 2019 मेज पर रखेंगे।
87.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 24(3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या Misc-454/2023/7/1/2023-2टीसीपी दिनांकित 24 जुलाई, 2023 मेज पर रखेंगे।
88.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	कम्पनी अधिनियम ,2013 की धारा395 (1) )ख (के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2020-21 के हरियाणा सड़क तथा सेतु विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आर.डी.सी) की 22वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
89.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	कम्पनी अधिनियम ,2013 की धारा395 (1) )ख (के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2018-19 के हरियाणा भूमि सुधार तथा विकास निगम लिमिटेड की 45वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
90.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा राज्य भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31(11) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2018-19 के लिए हरियाणा राज्य भण्डारण निगम की 52वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

91.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	कम्पनी अधिनियम ,2013 की धारा 395(1))ख (के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष20 21-22 के हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
92.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	कम्पनी अधिनियम ,2013 की धारा395 (1) )ख (के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड की 39 वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
93.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा(4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार न्यायमूर्ति एल.एन.मित्तल (सेवानिवृत्त), पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, वर्ष 2020-21 के लिए हरियाणा जाँच आयोग तथा कार्यवाही रिपोर्ट, के द्वारा सौंपी गई जाँच रिपोर्ट मेज पर रखेंगे

-----

### नियम 66 व 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव

<u>सदस्य/सदस्यों का नाम</u>	<u>दिनांक</u>	<u>विषय</u>	<u>टिप्पणी</u>
1. श्री बिशन लाल सैनी, विधायक 2. श्री वरुण चौधरी, विधायक 3. श्री मेवा सिंह, विधायक 4. श्री भारत भूषण बत्तरा, विधायक 5. श्री कुलदीप वत्स, विधायक 6. श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक 7. श्रीमती रेणू बाला, विधायक 8. श्री शीशपाल सिंह, विधायक 9. श्रीमती शैली, विधायक 10. श्रीमती शकुन्तला खटक, विधायक 11. श्री आफताब अहमद, विधायक 12. राव दान सिंह, विधायक, 13. श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक	07.12.2023	हरियाणा प्रदेश में जहरीली शराब पीने के कारण लोगों की असमय हुई मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच करवाने बारे।	स्थगन प्रस्ताव संख्या 1 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 55 में परिवर्तित कर दिया गया है जिस पर दिनांक 18.12.2023 को चर्चा हो चुकी है।

-----

### नियम 73 के तहत ध्यानाकर्षण सूचनाएँ

क्रमांक	सदस्य/सदस्यों का नाम	दिनांक	विषय	टिप्पणी
1.	श्री बलराज कुंडू, विधायक	30.11.2023 (10:09 AM)	हरियाणा के यमुनानगर/अम्बाला में जहरीली शराब का सेवन करने से लगभग 20 से अधिक लोगों की जान जाने बारे।	<u>अस्वीकृत</u> :- ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 1 जो कि हरियाणा विधान सभा सचिवालय में दिनांक 30.11.2023 को प्राप्त हुई है जबकि विधान सभा सत्र के आमंत्रण की अधिसूचना दिनांक 02.12.2023 को सांय 7:50 बजे हुई है। अतः इस तरह की सूचनाएँ जो सत्र के आमंत्रण से पहले प्राप्त हो उनको समान्यता स्वीकार नहीं किया जाता है।
2.	श्री बलराज कुंडू, विधायक	30.11.2023 (10:09 AM)	हरियाणा के स्कूलों में सुविधाओं की कमी व बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ने बारे।	<u>अस्वीकृत</u> :- ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 जो कि हरियाणा विधान सभा सचिवालय में दिनांक 30.11.2023 को प्राप्त हुई है जबकि विधान सभा सत्र के आमंत्रण की अधिसूचना दिनांक 02.12.2023 को सांय 7:50 बजे हुई है। अतः इस तरह की सूचनाएँ जो सत्र के आमंत्रण से पहले प्राप्त हो उनको समान्यता स्वीकार नहीं किया जाता है।
3.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	01.12.2023 (10:22 AM)	जहरीली शराब से हुई मौत बारे।	<u>अस्वीकृत</u> :- ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 3 जो कि हरियाणा विधान सभा सचिवालय में दिनांक 01.12.2023 को प्राप्त हुई है जबकि विधान सभा सत्र के आमंत्रण की अधिसूचना



				दिनांक 02.12.2023 को सांय 7:50 बजे हुई है। अतः इस तरह की सूचनाएं जो सत्र के आमंत्रण से पहले प्राप्त हो उनको समान्यता स्वीकार नहीं किया जाता है।
4.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	01.12.2023 (10:22 AM)	हरियाणा पुलिस को पंजाब के समान वेतन देने बारे।	<b>अस्वीकृत:</b> —ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 4 जो कि हरियाणा विधान सभा सचिवालय में दिनांक 01.12.2023 को प्राप्त हुई है जबकि विधान सभा सत्र के आमंत्रण की अधिसूचना दिनांक 02.12.2023 को सांय 7:50 बजे हुई है। अतः इस तरह की सूचनाएं जो सत्र के आमंत्रण से पहले प्राप्त हो उनको समान्यता स्वीकार नहीं किया जाता है।
5.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	01.12.2023 (10:22 AM)	हरियाणा से दूसरे देशों में जा रहे युवाओं बारे।	<b>अस्वीकृत:</b> —ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 5 जो कि हरियाणा विधान सभा सचिवालय में दिनांक 01.12.2023 को प्राप्त हुई है जबकि विधान सभा सत्र के आमंत्रण की अधिसूचना दिनांक 02.12.2023 को सांय 7:50 बजे हुई है। अतः इस तरह की सूचनाएं जो सत्र के आमंत्रण से पहले प्राप्त हो उनको समान्यता स्वीकार नहीं किया जाता है।

6.	श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक	01.12.2023 (4:56 PM)	हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की बिगड़ती स्थिति बारे।	<b>अस्वीकृत:</b> —ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6 जो कि हरियाणा विधान सभा सचिवालय में दिनांक 01.12.2023 को प्राप्त हुई है जबकि विधान सभा सत्र के आमंत्रण की अधिसूचना दिनांक 02.12.2023 को सांय 7:50 बजे हुई है। अतः इस तरह की सूचनाएं जो सत्र के आमंत्रण से पहले प्राप्त हो उनको समान्यता स्वीकार नहीं किया जाता है।
7.	श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक	01.12.2023 (4:56 PM)	राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार बारे।	<b>अस्वीकृत:</b> —ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7 जो कि हरियाणा विधान सभा सचिवालय में दिनांक 01.12.2023 को प्राप्त हुई है जबकि विधान सभा सत्र के आमंत्रण की अधिसूचना दिनांक 02.12.2023 को सांय 7:50 बजे हुई है। अतः इस तरह की सूचनाएं जो सत्र के आमंत्रण से पहले प्राप्त हो उनको समान्यता स्वीकार नहीं किया जाता है।
8.	श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक	02.12.2023 (11:38 AM)	राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार बारे।	<b>अस्वीकृत:</b> —ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 8 जो कि हरियाणा विधान सभा सचिवालय में दिनांक 02.12.2023 को सुबह 11:38 बजे प्राप्त हुई है जबकि विधान सभा सत्र के आमंत्रण की अधिसूचना दिनांक— 02.12.2023 को सांय 7:50 बजे हुई है। अतः इस तरह की सूचनाएं जो सत्र के आमंत्रण

				से पहले प्राप्त हो उनको समान्यता स्वीकार नहीं किया जाता है।
9.	श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक	02.12.2023 (11:38 AM)	हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की बिगड़ती स्थिति बारे।	<u>अस्वीकृत</u> —ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 9 जो कि हरियाणा विधान सभा सचिवालय में दिनांक 02.12.2023 को सुबह 11:38 बजे प्राप्त हुई है जबकि विधान सभा सत्र के आमंत्रण की अधिसूचना दिनांक— 02.12.2023 को सांय 7:50 बजे हुई है। अतः इस तरह की सूचनाएं जो सत्र के आमंत्रण से पहले प्राप्त हो उनको समान्यता स्वीकार नहीं किया जाता है।

<b>After Summoning (02-12-2023 at 7:50 PM)</b>				
10.	श्री वरुण चौधरी, विधायक, श्री अमित सिहाग, विधायक, श्री आफताब अहमद, विधायक	02.12.2023 (8:15 PM)	जुलाई, 2023 में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ एवं जलभराव के कारण हुए नुकसान का मुआवजा न मिलने बारे।	<b>स्वीकृत:—</b> दिनांक— <b>15.12.2023</b> को चर्चा हो चुकी है।
11.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	03.12.2023 (4:53 PM)	एसवाईएल नहर का निर्माण कार्य पूरा करने बारे।	<b>अस्वीकृत:—</b> 1. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है। 2. यह है कि प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के संबंध में नहीं होगा जो किसी न्यायालय के नयाय-निर्णय के अधीन हो।
12.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	03.12.2023 (4:53 PM)	प्रदेश में किसानों को डीएपी खाद समय पर न मिलने बारे।	<b>माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।</b>
13.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	03.12.2023 (4:53 PM)	बेमौसमी भारी बारिश तथा गुलाबी सुंड़ी के कारण कपास एवं रबी की फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देने बारे।	<b>अस्वीकृत:—</b> यह है कि विषय वस्तु में तत्कालीनता का अभाव है।

14.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	03.12.2023 (4:53 PM)	जींद जिले के सरकारी स्कूल के प्राचार्य द्वारा छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले बारे।	<b>स्वीकृत:-</b> दिनांक- <b>19.12.2023</b> को चर्चा हो चुकी है।
15.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	03.12.2023 (4:53 PM)	नवम्बर, 2023 में प्रदेश के यमुनानगर और अम्बाला जिले में जहरीली और नकली शराब पीने के कारण लगभग 22 लोगों की मौत बारे।	<b>स्वीकृत:-</b> दिनांक- <b>18.12.2023</b> को चर्चा हो चुकी है।
16.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	03.12.2023 (4:53 PM)	सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने बारे।	<b>अस्वीकृत:-</b> 1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
17.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	03.12.2023 (4:53 PM)	प्रदेश में बेरोजगारी बारे।	<b>अस्वीकृत:-</b> 1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।

18.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	03.12.2023 (4:53 PM)	प्रोपर्टी आई.डी. में तकनीकी खामियों बारे।	<u>अस्वीकृत:-</u>  1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
19.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	03.12.2023 (4:53 PM)	प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बारे।	<u>अस्वीकृत:-</u>  1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
20.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	04.12.2023 (11:02 AM)	समान काम-समान वेतन नीति को सभी विभागों में लागू करवाने बारे।	<u>अस्वीकृत:-</u>  1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।

21.	श्री प्रदीप चौधरी, विधायक	04.12.2023 (11:29 AM)	कालका विधान सभा क्षेत्र की जर्जर व खराब सड़कों की स्थिति बारे।	<p><u>अस्वीकृत:-</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 73(1) के परन्तुक के अनुसार ध्यानाकर्षण सूचना 250 शब्दों से अधिक ना हो। लेकिन इस सूचना में 498 शब्द हैं।</li> <li>यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है।</li> <li>यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।</li> </ol>
22.	श्री बलराज कुंडू, विधायक	04.12.2023 (11:50 AM)	हरियाणा के स्कूलों में सुविधाओं की कमी व बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ने बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 22 समान विषय पर होने के कारण <b>स्वीकृत</b> ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के साथ संलग्न।
23.	श्री बलराज कुंडू, विधायक	04.12.2023 (11:52 AM)	हरियाणा के यमुनानगर/अम्बाला में जहरीली शराब का सेवन करने से लगभग 20 से अधिक लोगों की मौत बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 23 समान विषय पर होने के कारण <b>स्वीकृत</b> ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 के साथ संलग्न।

24.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	05.12.2023 (4:00 PM)	इस वर्ष फरवरी-मार्च में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद तथा भिवानी जिलों में बेमौसमी भारी बारिश व ओलावृष्टि के कारण सरसों व गेहू की खड़ी फसलों को हुए नुकसान बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 24 समान विषय पर होने के कारण <b>स्वीकृत</b> ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के साथ संलग्न।
25.	श्री बलराज कुंडू, विधायक	05.12.2023 (6:26 PM)	प्रदेश में बेरोजगारी बारे।	<b>अस्वीकृत:-</b>  1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
26.	श्री बलराज कुंडू, विधायक	05.12.2023 (7:57 PM)	प्रदेश में रबी की फसलों की बिजाई के लिए किसानों को डीएपी व यूरिया खाद उपलब्ध न होने एवं बेमौसमी बरसात की वजह से खराब फसलों का मुआवजा देने बारे।	<b>माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।</b>



27.	<p>श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक, श्री इन्दुराज, विधायक, श्री वरुण चौधरी, विधायक, श्री आफताब अहमद, विधायक, श्री भारत भूषण बत्तरा, विधायक, श्री बिशन लाल सैनी, विधायक</p>	<p>06.12.2023 (12:54 PM)</p>	<p>राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार बारे।</p>	<p><u>अस्वीकृत:-</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है।</li> <li>2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।</li> </ol>
28.	<p>श्री भारत भूषण बत्तरा, विधायक, श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक, श्री आफताब अहमद, विधायक, श्री वरुण चौधरी, विधायक</p>	<p>06.12.2023 (1:15 PM)</p>	<p>हरियाणा प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में छात्राओं के साथ यौन शोषण के मामले, विद्यालय परिसर में छात्राओं की सुरक्षा एवं विद्यालय में छात्राओं के लिए मूलभूत सुविधाओं के अभाव बारे।</p>	<p>ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 28 समान विषय पर होने के कारण <b>स्वीकृत</b> ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के साथ संलग्न।</p>

29.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	06.12.2023 (4:03 PM)	जहरीली शराब से हुई मौत बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 29 समान विषय पर होने के कारण स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 के साथ संलग्न।
30.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	06.12.2023 (4:03 PM)	हरियाणा पुलिस को पंजाब के समान वेतन देने बारे।	<u>अस्वीकृत:-</u> 1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
31.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	06.12.2023 (4:03 PM)	हरियाणा से दूसरे देशों में जा रहे युवाओं बारे।	<u>अस्वीकृत:-</u> 1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।

32.	श्री आफताब अहमद, विधायक, मोहम्मद इलियास, विधायक, श्री मामन खान, विधायक	07.12.2023 (9:30 AM)	दक्षिण हरियाणा के किसानों को सिंचाई के लिए प्रदूषित पानी उपलब्ध होने बारे।	<u>अस्वीकृत:-</u> 1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
33.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	07.12.2023 (1:44 PM)	डीएपी खाद समय पर ना मिलने बारे।	<u>माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।</u>
34.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	07.12.2023 (1:44 PM)	स्कूलों में सुविधाओं की कमी एवं बेटियों के साथ यौन उत्पीडन बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 34 समान विषय पर होने के कारण <u>स्वीकृत</u> ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के साथ संलग्न।
35.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	07.12.2023 (1:44 PM)	हरियाणा में गुलाबी सुंडी के कारण खराब हुई कपास की फसल बारे।	<u>अस्वीकृत:-</u> यह है कि विषय वस्तु में तत्कालीनता का अभाव है।

36.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	07.12.2023 (1:44 PM)	हरियाणा में बढ़ते भ्रष्टाचार बारे।	<u>अस्वीकृत:—</u>  1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
37.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	07.12.2023 (1:44 PM)	एस. वाई. एल. नहर के निर्माण बारे।	<u>अस्वीकृत:—</u>  1. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है। 2. यह है कि प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के संबंध में नहीं होगा जो किसी न्यायालय के नयाय-निर्णय के अधीन हो।
38.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	07.12.2023 (1:44 PM)	प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी बारे।	<u>अस्वीकृत:—</u>  1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
39.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	07.12.2023 (1:44 PM)	पुरानी पेंशन योजना बारे।	<u>अस्वीकृत:—</u>  1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है।

				2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
40.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	07.12.2023 (1:44 PM)	प्रोपर्टी आई.डी. के कारण लोगों को हो रही परेशानी बारे।	<u>अस्वीकृत:-</u> 1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
41.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	09.12.2023 (5:08 PM)	बिहार राज्य की तर्ज पर हरियाणा राज्य में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने बारे।	<u>अस्वीकृत:-</u> 1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
42.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	10.12.2023 (10:23 AM)	बिहार राज्य की तर्ज पर हरियाणा राज्य में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने बारे।	<u>अस्वीकृत:-</u> 1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।

43.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	10.12.2023 (10:28 AM)	हरियाणा की नगर पालिकाओं में निजी फर्म द्वारा संपत्ति आई.डी. के अपर्याप्त सर्वेक्षण द्वारा आम नागरिकों को होने वाली अनुचित परेशानी एवं क्षति बारे।	<u>अस्वीकृत:—</u> 1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
44.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	10.12.2023 (10:36 AM)	प्रदेश में नकली एवं अवैध शराब बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 44 समान विषय पर होने के कारण <u>स्वीकृत</u> ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 के साथ संलग्न।
45.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	10.12.2023 (10:36 AM)	प्रदेश में अवैध खनन बारे।	<u>अस्वीकृत:—</u> 1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।

46.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	10.12.2023 (10:43 AM)	हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम 2020 के निरस्तीकरण के कारण हरियाणा में युवाओं के बीच तीव्र निराशा बारे।	<u>अस्वीकृत:—</u>  1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
47.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	10.12.2023 (10:43 AM)	हरियाणा सरकारी नौकरियों में संविदा के रूप में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड का उपयोग किए जाने के कारण युवाओं में अधात और तनाव बारे।	<u>अस्वीकृत:—</u>  1. हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 73(1) के परन्तुक के अनुसार ध्यानाकर्षण सूचना 250 शब्दों से अधिक ना हो। 2. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 3. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
48.	श्री ईश्वर सिंह, विधायक	12.12.2023 (10:39 AM)	हरियाणा में जाति के आधार पर बने शमशान घाट की प्रथा को खत्म करने बारे।	<u>अस्वीकृत:—</u>  1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।

49.	श्री ईश्वर सिंह, विधायक	12.12.2023 (10:39 AM)	अनुसूचित जाति के लिए चुनाव आयोग और परिसीमन आयोग से 18 सीटें आरक्षित करवाने बारे।	<u>अस्वीकृत:-</u> 1. हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 73(1) के परन्तुक के अनुसार ध्यानाकर्षण सूचना 250 शब्दों से अधिक ना हो। 2. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 3. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
50.	श्री ईश्वर सिंह, विधायक	14.12.2023 (12:48 PM)	हरियाणा में जाति के आधार पर बने शमशान घाट की प्रथा को खत्म करने बारे।	<u>अस्वीकृत:-</u> 1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
51.	श्री ईश्वर सिंह, विधायक	14.12.2023 (12:48 PM)	अनुसूचित जाति के लिए चुनाव आयोग और परिसीमन आयोग से 18 सीटें आरक्षित करवाने बारे।	<u>अस्वीकृत:-</u> 1. हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 73(1) के परन्तुक के अनुसार ध्यानाकर्षण सूचना 250 शब्दों से अधिक ना हो। 2. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 3. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।



52.	श्री रामकरण, विधायक	14.12.2023 (3:19 PM)	शाहबाद में मारकंडा नदी की सफाई एवं खुदाई करवाने बारे।	<u>अस्वीकृत:-</u> 1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
53.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	14.12.2023 (3:33 PM)	गुप सी की भर्तियों बारे।	<u>अस्वीकृत:-</u> 1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
54.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	14.12.2023 (3:33 PM)	बाढ़ के कारण हुए नुकसान का मुआवजा देने बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 54 समान विषय पर होने के कारण स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के साथ संलग्न।

55.	<p>श्री बिशन लाल सैनी, विधायक,  श्री वरुण चौधरी, विधायक,  श्री मेवा सिंह, विधायक,  श्री भारत भूषण बत्तरा, विधायक,  श्री कुलदीप वत्स, विधायक,  श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक,  श्रीमती रेणू बाला, विधायक,  श्री शीशपाल सिंह, विधायक,  श्रीमती शैली, विधायक,  श्रीमती शकुन्तला खटक, विधायक,  श्री आफताब अहमद, विधायक,  राव दान सिंह, विधायक,  श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक</p>	07.12.2023 (9:30 AM)	हरियाणा प्रदेश में जहरीली शराब पीने के कारण लोगों की असमय हुई मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच करवाने बारे।	<p>ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 55 समान विषय पर होने के कारण स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 के साथ संलग्न।</p> <p>(स्थगन प्रस्ताव संख्या 1 ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 55 में परिवर्तित है)</p>
-----	--	-------------------------	---	---

56.	श्री राम कुमार गौतम, विधायक	15.12.2023 (10:16 AM)	वर्ष 2021 में खरीफ की फसल गुलाबी सुंडी की वजह से खेडी चोपटा में हुए फसल के नुकसान का इन्श्युरेन्स के पैसे न मिलने व 2022/2023 में बाढ़ व भारी बारिश के नुकसान का मुआवजा न मिलने बारे।	<u>माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।</u>
57.	डॉ रघुवीर सिंह कादियान, विधायक, श्री आफताब अहमद, विधायक, राव दान सिंह, विधायक	15.12.2023 (10:18 AM)	एच.एस.वी.पी. द्वारा बोली के आधार पर प्लॉट बेचे जाते हैं जिस कारण गरीब लोग वहां बोली पर प्लॉट नहीं खरीद सकते, इसलिए एच.एस.वी.पी. द्वारा नये सैक्टर्स का निर्माण करके ड्रा के माध्यम से ही प्लॉट अलॉट किए जाने बारे।	<u>अस्वीकृत:-</u> यह है कि विषय वस्तु में तत्कालीनता का अभाव है।

58.	डॉ रघुवीर सिंह कादियान, विधायक, श्री आफताब अहमद, विधायक, श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक, श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक, श्री भारत भूषण बत्तरा, विधायक	15.12.2023 (11:25 AM)	प्रदेश में किसानों की हालत बहुत ही दयनीय स्थिति बारे।	<u>अस्वीकृत:-</u>  1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
59.	श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक, श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक, श्री भारत भूषण बत्तरा, विधायक	15.12.2023 (3:47 PM)	प्रापर्टी आई.डी. सर्वे में घोटाले की संलिप्त अधिकारियों की जांच एवं याशी कम्पनी, जयपुर के गलत सर्वे की जांच सी.बी.आई. करवाने बारे।	<u>अस्वीकृत:-</u>  1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
60.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	16.12.2023 (5:47 PM)	प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था बारे।	<u>अस्वीकृत:-</u>  1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।

61.	श्री कुलदीप वत्स, विधायक, श्री आफताब अहमद, विधायक, श्री बिशन लाल सैनी, विधायक	18.12.2023 (12:57 PM)	प्रदेश में अवैध खनन बारे।	<u>अस्वीकृत:-</u>  1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
62.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	18.12.2023 (7:53 PM)	प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 62 समान विषय पर होने के कारण स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के साथ संलग्न।

### नियम 73 ए के तहत प्रस्ताव अल्पावधि चर्चा

<u>क्रमांक</u>	<u>सदस्य/सदस्यों का नाम</u>	<u>दिनांक</u>	<u>विषय</u>	<u>टिप्पणी</u>
1.	1. श्री आफताब अहमद, विधायक 2. श्री भारत भूषण बत्तरा, विधायक 3. श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक 4. श्री वरुण चौधरी, विधायक 5. श्री इन्दुराज, विधायक 6. श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक	06.12.2023  (1:17 PM)	प्रदेश और विशेषकर एन.सी.आर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गुणवत्ता का स्तर बढ़ने और प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति तक पहुंचने बारे।	<u>अस्वीकृत:-</u>  2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है। 3. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है।
2.	1. डॉ अमय सिंह यादव, विधायक 2. श्री सत्य प्रकाश जरावता, विधायक 3. श्री राम कुमार गौतम, विधायक	15.12.2023  (10:20 AM)	निकटतम पारिवारिक रिश्तों में शादी पर प्रतिबन्ध लगाने बारे हिन्दू विवाह कानून में संशोधन करने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश करने बारे।	<u>अस्वीकृत:-</u>  1. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है। 2. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है।

3.	1. श्रीमती किरण चौधरी, विधायक 2. श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक 3. श्री प्रदीप चौधरी, विधायक	18.12.2023 (9:55 AM)	एम.एस.पी. को कानूनी रूप से लागू करने बारे।	<u>अस्वीकृत:-</u> यह विषय राज्य सरकार से संबंधित नहीं है।
----	--	-------------------------	---	--

-----

### नियम 84 के अधीन प्रस्ताव

हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 84 के अधीन प्रस्ताव				
क्र. सं.	नोटिस देने वाले सदस्य	तिथि (जब प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं चर्चा की गई)	विषय-वस्तु	निर्णय/टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	1. श्री भारत भूषण बत्तरा, विधायक 2. राव दान सिंह, विधायक, 3. श्री आफताब अहमद, विधायक 4. श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक 5. श्री वरुण चौधरी, विधायक 6. श्री सुरेन्दर पंवार, विधायक 7. श्री नीरज शर्मा, विधायक 8. श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक	—————	“कि एन. डी. सी. और प्रॉपर्टी आई.डी. से संबंधित जितनी भी रेगुलेशंज, रूल्ज, नोटिफिकेशंज आदि इशू किये गये हैं उनको सदन के पटल पर रखा जाये और सदस्यों को उन पर चर्चा करने का अवसर दिया जाये।”	अस्वीकृत/सरकार से प्राप्त टिप्पणी के अवलोकन उपरान्त।



मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्य

क्रमांक संख्या	दिनांक	दिया गया वक्तव्य	विषय सूची
1.	15.12.2023	उप मुख्यमंत्री	"जुलाई, 2023 में भारी बारिश के कारण बाढ़ एवं जलभराव के कारण हुए नुकसान का मुआवजा न मिलने से संबंधित"
2.	18.12.2023	गृह मंत्री	"राज्य में नवम्बर, 2023 में जहरीली/नकली शराब के पीने के कारण यमुनानगर तथा अम्बाला जिले में 22 व्यक्तियों की मौत से सम्बन्धित"
3.	19.12.2023	शिक्षा मंत्री	"जींद जिले में राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न से संबंधित"

-----

## दिए गए भाषणों और उस पर लगने वाले समय का तुलनात्मक विवरण

मंत्रियों/सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों की संख्या					मंत्रियों/सदस्यों द्वारा लिया गया समय (मिनट्स/परसेंटेज में)				
सत्ता पक्ष के सदस्य (मंत्रियों को छोड़कर)	मुख्यमंत्री /मंत्री	निर्दलीय	विपक्ष के सदस्य		सत्तापक्ष के सदस्य (मंत्रियों को छोड़कर))	मुख्यमंत्री /मंत्री	निर्दलीय	विपक्ष के सदस्य	
			भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी	इंडियन नेशनल लोकदल				भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी	इंडियन नेशनल लोकदल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	3	3	23	.....	9	6	4	67	-----
12.12%	9.09%	9.09%	69.70%		10.46%	6.98%	4.65%	77.91%	

टिप्पणियाँ:-

- (i) सभापीठ द्वारा अवलोकन/निर्णय आदि और उस पर लगने वाला समय विवरण में शामिल नहीं है।
- (ii) प्रश्नकाल को विवरण में शामिल नहीं किया गया है।
- (iii) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, व्यक्तिगत स्पष्टीकरण, व्यवस्था का बिंदु, शून्य काल, विधान के संबंध में प्रस्ताव और मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्यों आदि पर लगने वाला समय भी विवरण में शामिल नहीं किया गया है।

-----

### प्रश्नों से संबंधित आंकड़े

1	सभा की कुल बैठकों की संख्या ।	3
2	प्राप्त हुए कुल प्रश्नों की संख्या (तारांकित/अतारांकित)।	225+159 = 384
3	प्राप्त हुए अल्प सूचना प्रश्नों की संख्या।	शून्य
4	बैठकों की कुल संख्या जिसमें प्रश्नकाल हटा दिया गया /आयोजित नहीं हुआ।	शून्य
5	सदस्यों की कुल संख्या जिनसे सूचना प्राप्त हुई ।	48
6	प्रश्नों की कुल संख्या जिनके मौखिक उत्तर दिए गए ।	41
7	किसी एक दिन मौखिक रूप से सबसे अधिक संख्या में प्रश्नों के दिए गए उत्तर ।	14
8	किसी एक दिन मौखिक रूप से सबसे कम प्रश्नों के दिए गए उत्तर ।	13
9	अतारांकित प्रश्नों में परिवर्तित तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या।	शून्य
10	उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्नों की कुल संख्या ।	95
11	किसी एक मंत्री/मुख्यमंत्री द्वारा मौखिक रूप से सबसे अधिक संख्या में प्रश्नों के दिए गए उत्तर ।	12
12	सबसे अधिक संख्या में किसी एक मंत्री/मुख्यमंत्री को मौखिक रूप से संबोधित किए गए प्रश्न।	16
13	संबंधित सदस्य को दिए गए सवालों के जवाब में दिए गए विवरणों की कुल संख्या।	8

-----

## प्रश्नों का विवरण

	प्राप्त नोटिस की संख्या	स्वीकृत किये गए	वापस भेजे गए	परिवर्तित किये गए	अस्वीकृत किये गए	संयोजित किये गए	समाप्त हुए	पूछे नहीं गए	स्थगित / समय बढ़ाया गया	उत्तर दिए गए	सवालियों की संख्या जिनका उत्तर दिया गया समझा गया	अनुपूरक प्रश्नों की संख्या
तारांकित	225	126	शून्य	शून्य	98	शून्य	67	2	शून्य	41	17	58
अतारांकित	159	104	शून्य	शून्य	55	शून्य	8	शून्य	1	95	शून्य	शून्य
अल्प सूचना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-----

तिथिवार दिये गये उत्तर/नहीं रखे गये/स्थगित कर दिये गये तारांकित प्रश्नों का विवरण

दिनांक	सरकारी पक्ष	विपक्ष	आजाद	नहीं पूछे गए प्रश्न	प्रश्न स्थगित / समय बढ़ाया गया
15.12.2023	4	8	1	शून्य	शून्य
18.12.2023	7	6	1	1	शून्य
19.12.2023	5	7	2	1	शून्य

-----

नियम 45(1) के तहत सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के उत्तर की तिथिवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

दिनांक	सरकारी पक्ष	विपक्ष	आजाद	प्रश्नों की कुल संख्या जिनके उत्तर दिए हुए समझे गए	प्रश्नों की कुल संख्या जिनके उत्तर मौखिक रूप से दिए गए	नहीं पूछे गए प्रश्न	समय बढ़ाया गया	सूचीबद्ध प्रश्नों की कुल संख्या
15.12.2023	2	5	शून्य	7	13	शून्य	शून्य	20
18.12.2023	2	2	1	5	14	1	शून्य	20
19.12.2023	3	2	शून्य	5	14	1	शून्य	20

-----

विभिन्न मंत्रियों के नामों में तारांकित प्रश्नों की संख्या दर्शाने वाला तिथिवार विवरण।

दिनांक	मुख्य मंत्री	उप मुख्यमंत्री	चिकित्सा शिक्षा / स्वास्थ्य / गृह	उच्च शिक्षा	कृषि तथा किसान कल्याण	शहरी स्थानीय निकाय	पर्यावरण	विकास एवं पंचायत	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	पशु पालन	सहकारिता	स्कूल शिक्षा	गृह	यातायात
15.12.2023	5	4	2	1	शून्य	2	2	शून्य	1	1	2	शून्य	शून्य	शून्य
18.12.2023	4	6	4	शून्य	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3	1	शून्य
19.12.2023	7	6	शून्य	शून्य	शून्य	2	शून्य	3	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1

## बहिर्गमन

क्रमांक संख्या	दिनांक	विधायक / विधायकों द्वारा वाक आउट	कारण
1.	15.12.2023	इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य	सदन में उपस्थित इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य उनके द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत न किए जाने और उसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कंवर्ट किए जाने के विरोधस्वरूप सदन से वाक आउट कर गए।
2.	18.12.2023	इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला	प्रश्न काल के दौरान, सदन में उपस्थित इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला द्वारा दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 30 पर उनके द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न का खेल मंत्री द्वारा संतोषजनक उत्तर न दिए जाने के विरोधस्वरूप सदन से वाक आउट कर गए।

-----



**परिशिष्ट**  
**बुलेटिनस ( दिसम्बर ) सत्र, 2023**

(14वीं विधान सभा के 14वें सत्र ( दिसम्बर ) 2023 की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण)

**बुलेटिन संख्या-1**

शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2023  
(11:00 बजे से सायं 4.18 बजे तक)

**1. शोक प्रस्ताव**

मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय:-

5. प्रोफेसर छत्तर सिंह चौहान, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष;
6. डॉ० राम प्रकाश, हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री;
7. हरियाणा के शहीद;
8. अन्य।

के देहावसान का उल्लेख किया तथा 05 मिनट भाषण दिया।

प्रतिपक्ष के नेता, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, ने 05 मिनट भाषण दिया।

अध्यक्ष महोदय ने भी सदन में अभिव्यक्त की गई भावनाओं के साथ अपने आप को सम्मिलित किया तथा 2 मिनट भाषण दिया।

यह विनिश्चित किया गया कि शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजे जाएं।

दिवंगतों की पुण्य-स्मृति के प्रति सम्मान के रूप में सभा ने खड़े होकर दो मिनट के लिए मौन धारण किया।

**2. प्रश्न**

(क) तारांकित:

क्रम पत्र पर कुल संख्या	उत्तरित	न पूछे गए	स्थगित किए गए	अनुपूरकों की संख्या
20	13	—	—	16

शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए समझे गए तथा उनके उत्तर सदन की मेज पर रखे गए।

(ख) अतारांकित: 40

3. कोहिनूर इंटरनेशनल एकेडमी, ततिआना, कैथल के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन करना।

प्रश्न काल के दौरान, अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से कोहिनूर इंटरनेशनल एकेडमी, ततिआना, कैथल के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

4. घोषणाएं—

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा—

(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची के संबंध में—

हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 13 (1) के अधीन, अध्यक्ष महोदय ने दिसम्बर सत्र, 2023 के लिए निम्नलिखित सदस्यों को चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची (पैनल आफ चेयरपर्सन्ज) में कार्य करने के लिए नामजद किया :—

1. श्री मोहन लाल बड़ोली, विधायक
2. श्रीमती निर्मल रानी, विधायक
3. श्री वरुण चौधरी, विधायक
4. श्री ईश्वर सिंह, विधायक

(ii) सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में—

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि—

(क) उन्हें श्री अमित सिहाग, विधायक से ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि वे दिनांक 15.12.2023 को पारिवारिक समारोह में शामिल होने के कारण सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(ख) उन्हें श्री राजेश नागर, विधायक से ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि वे दिनांक 15.12.2023 को पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अहमदाबाद गए हुए हैं इसलिए वे आज दिनांक 15.12.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(ग) उन्हें श्री धर्मपाल गोंदर, विधायक से ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि वे भारत संकल्प यात्रा में व्यस्त होने के कारण आज दिनांक 15.12.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(घ) उन्हें श्री राकेश दौलताबाद, विधायक से ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि जरूरी कारणों से उनको चंडीगढ़ से बादशाहपुर वापस जाना पड़ा है इसलिए वे आज दिनांक 15.12.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(ङ) उन्हें श्री महीपाल ढांडा, विधायक से ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि वे अस्वस्थ होने के कारण आज दिनांक 15.12.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(च) उन्हें श्रीमती किरण चौधरी, विधायक से दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि जरूरी कार्य होने के कारण वे आज दिनांक 15.12.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकती हैं।

**(iii) सुरक्षा सम्बन्धी उठाए गए कदमों के सम्बन्ध में-**

अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 13.12.2023 को लोकसभा में हुई घटना के उपरांत सदन की सुरक्षा और निर्विघ्न कार्यवाही को सुनिश्चित करने के बारे में माननीय सदस्यों को सुरक्षा संबंधी उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में सूचित किया एवं उन्हें सुरक्षा की जांच प्रक्रिया में हस्ताक्षेप न करने बारे दिशा निर्देश भी दिए।

**(iv) आर्ट ऑफ लिविंग का सत्र आयोजित करवाने के सम्बन्ध में-**

अध्यक्ष महोदय ने सदन को यह भी सूचित किया कि हरियाणा विधान सभा सचिवालय द्वारा पहली बार आर्ट ऑफ लिविंग के मार्गदर्शन में तनाव मुक्ति एवं प्रसन्नता के लिए दिनांक 19.12.2023 को प्रातः 7:00 बजे से 9:00 बजे तक हरियाणा निवास, सैक्टर-3, चण्डीगढ़ में एक सत्र का आयोजन किया जा रहा है इसलिए उन्होंने सभी सदस्यों से इस सत्र में शामिल होने के लिए अनुरोध किया।

**(ख) सचिव द्वारा—**

सचिव महोदय ने निम्नलिखित विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने अगस्त, सत्र 2023 में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, नेवा पोर्टल के माध्यम से सादर सदन की मेज पर रखने की घोषणा की।

**अगस्त सत्र, 2023**

1. सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023.
  2. हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023.
  3. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023.
  4. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023.
  5. हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023.
  6. हरियाणा वाद्य (शोर—नियंत्रण) निरसन विधेयक, 2023.
  7. हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023.
  8. हरियाणा विनियोग (संख्या—3) विधेयक, 2023.
  9. हरियाणा विनियोग (संख्या—4) विधेयक, 2023.
- 5. कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करना।**

अध्यक्ष महोदय ने कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की :—  
समिति की बैठक वीरवार, 14 दिसम्बर, 2023 को 4.00 बजे मध्याह्न—पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई।

समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निर्देश नहीं देते, सत्र के दौरान, विधान सभा की बैठक शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2023 को प्रातः 11.00 बजे आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

सोमवार, 18 दिसम्बर, 2023 को विधान सभा की बैठक प्रातः 11.00 बजे आरम्भ होगी तथा सायं 6.00 बजे बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

मंगलवार, 19 दिसम्बर, 2023 को विधान सभा की बैठक प्रातः 11.00 बजे आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

कुछ चर्चा के पश्चात्, समिति ने आगे सिफारिश की कि 15, 18 तथा 19 दिसम्बर, 2023 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगा:—

शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2023  
( प्रातः 11.00 बजे )

1. शोक प्रस्ताव ।
2. प्रश्न काल ।
3. कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना ।
4. सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज-पत्र ।
5. विशेषाधिकार समिति का दूसरा प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना ।
6. विधायी कार्य ।

शनिवार, 16 दिसम्बर, 2023

छुट्टी

रविवार, 17 दिसम्बर, 2023

छुट्टी

सोमवार, 18 दिसम्बर, 2023

( प्रातः 11.00 बजे )

1. प्रश्न काल ।
2. वर्ष 2019-2020, 2020-2021 तथा 2021-2022 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान ।
3. वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) प्रस्तुत करना तथा उस पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट ।
4. वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) पर चर्चा तथा मतदान ।
5. विधायी कार्य ।

मंगलवार, 19 दिसम्बर, 2023

( प्रातः 11.00 बजे )

1. प्रश्न काल ।
2. निरन्तर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव ।
3. अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव ।
4. रखे जाने वाले कागज-पत्र, यदि कोई हों ।
5. वर्ष 2019-2020, 2020-2021 तथा 2021-2022 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक, 2023 ।
6. वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुमानों (दूसरी किस्त) के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक ।
7. विधायी कार्य ।
8. कोई अन्य कार्य ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया—

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा तथा श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक ने भी इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए।

*प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।*

6. ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्ताव/गैर सरकारी प्रस्तावों/अल्पावधि चर्चा के प्रस्तावों/सरकारी प्रस्ताव तथा विधेयकों के बारे में सूचना।

जब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री आफताब अहमद, श्रीमती गीता भुक्कल और उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्ताव/गैर सरकारी प्रस्तावों/अल्पावधि चर्चा के प्रस्ताव की सूचना का परिणाम जानना चाहा तो अध्यक्ष महोदय ने उन्हें सूचित किया कि उनके द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कंवर्ट कर दिया गया है। श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों ने उनके द्वारा दिए गए हरियाणा प्रदेश में जहरीली शराब पीने के कारण लोगों की असमय हुई मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच करवाने से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कंवर्ट किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि यह स्थगन प्रस्ताव बहुत ही गम्भीर विषय से सम्बन्धित है इसलिए उनके द्वारा दिए गए इस स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कंवर्ट न करके इसी स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत करके इस पर सदन में चर्चा करवाई जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने उनको बताया कि उनके द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव को कंवर्ट करके जिस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ जोड़ा गया है वह भी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा ही दिया गया है और उस पर सदन में चर्चा करवाई जाएगी तथा उस पर सरकार द्वारा जवाब भी दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय ने अब तक विधान सभा सचिवालय को प्राप्त हुए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/गैर सरकारी प्रस्तावों/सरकारी प्रस्ताव/अल्पावधि चर्चा के प्रस्तावों के परिणामों के बारे में सदन को सूचित करते हुए बताया कि या तो ये स्वीकृत कर दिए गए हैं या अस्वीकृत कर दिए गए हैं या अभी विचाराधीन हैं। उन्होंने सदन में पेश किए जाने वाले विभिन्न विधेयकों के बारे में भी जानकारी दी।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को यह भी बताया कि जो एक सरकारी प्रस्ताव हरियाणा राज्य के गीत के चयन के लिए सरकार की तरफ से आया है उस पर सदन में चर्चा भी कराई जाएगी।

#### 7. वाक आउट

सदन में उपस्थित इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य उनके द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत न किए जाने और उसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कंवर्ट किए जाने के विरोधस्वरूप सदन से वाक आउट कर गए।

#### 8. हिन्दू कॉलेज, सोनीपत के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन करना।

अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से हिन्दू कॉलेज, सोनीपत के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

#### 9. शून्यकाल में भाग लेने के लिए समयावधि तथा सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि चूंकि आज 12 सदस्यों के नाम ही शून्य काल में बोलने के लिए आए हैं इसलिए आज प्रत्येक सदस्य को 5 मिनट का समय बोलने के लिए दिया जाएगा लेकिन इस बारे में कुछ चर्चा के पश्चात अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से घोषणा की कि सोमवार से शून्य काल में प्रत्येक सदस्य को केवल 4 मिनट का ही समय बोलने के लिए दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज श्रीमती गीता भुक्कल, सर्वश्री सोमबीर सांगवान, शमशेर सिंह गोगी, जयवीर सिंह, वरुण चौधरी, बलराज कुण्डु, अभय सिंह यादव, राम कुमार गौतम, राव चिंरजीव, राव दान सिंह, अभय सिंह चौटाला तथा भव्य बिश्नोई विधायकों को शून्य काल में बोलने के लिए समय दिया जाएगा।

#### 10. विधेयकों की प्रतियां समय पर सदस्यों को उपलब्ध न करवाए जाने का मामला उठाना।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री आफताब अहमद ने विधेयकों की प्रतियां समय पर सदस्यों को उपलब्ध न करवाए जाने का मामला उठाते हुए अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि विधेयकों की प्रतियां सदस्यों को उनकी डाली हुई परम्परा के अनुसार समय पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि सदस्य उन विधेयकों को अच्छी तरह से पढ़ सकें और उन पर चर्चा

कर सकें । अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य को बताया कि सभी सदस्यों को आज ही विधेयकों की प्रतियां मिल जाएंगी और उन पर मंगलवार को चर्चा करवाई जाएगी ।

### 11. शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना ।

उपाध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों/मांगों को उठाने की अनुमति दी । तत्पश्चात्, श्रीमती गीता भुक्कल, सर्वश्री सोमबीर सांगवान, शमशेर सिंह गोगी, जयवीर सिंह, वरुण चौधरी, बलराज कुण्डु, अभय सिंह यादव, राम कुमार गौतम, राव चिंरजीव, राव दान सिंह, अभय सिंह चौटाला तथा भव्य बिश्नोई, विधायको ने अपने अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों/मांगों को सदन में उठाया ।

### 12. बैठक का स्थगन ।

उपाध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि दोपहर के भोजन अवकाश के लिए सदन एक घंटे के लिए स्थगित रहेगा ।

तत्पश्चात् सदन मध्याह्न-पश्चात् 1:43 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुआ तथा मध्याह्न-पश्चात् 2:43 बजे पुनः समवेत हुआ ।

(जब सदन समवेत हुआ तो अध्यक्ष महोदय ने सदन की अध्यक्षता की ।)

### 13. सरकारी प्रस्ताव—

“हरियाणा राज्य गीत के चयन के बारे में”

मध्याह्न पश्चात् 2:43 बजे मुख्यमंत्री महोदय ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:—

“यद्यपि हरियाणा राज्य 1 नवम्बर, 1966 को अस्तित्व में आया, लेकिन हरियाणा की पावन धरा पूर्व-वैदिक काल से ही गौरवशाली इतिहास, समृद्ध परंपराओं और संस्कृति का केंद्र रही है। आज हरियाणा प्रदेश की पहचान भारत के अग्रणी राज्यों में होती है। हरियाणा के लोगों ने सदैव देश की रक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

यद्यपि हरियाणा का अपना राज्य-चिह्न है, लेकिन प्रदेश का कोई राज्य-गीत नहीं है, जो इसके इतिहास और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हो और जिसमें इसके लोगों के गुण और योगदान समाविष्ट हों। एक बार अपनाया गया राज्य गीत सभी हरियाणवियों को उनकी जाति, लिंग धर्म या आर्थिक स्थिति से इतर, उन्हें एक नई गौरवपूर्ण पहचान प्रदान करेगा।

हमारे पास तीन विकल्प हैं, जिन्हें इस माननीय सदन के समक्ष राज्य गीत के रूप में विचारार्थ रखा जा रहा है। इन विकल्पों का चयन एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है।



इसमें समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से जनता से गीत आमंत्रित किये गये थे। इसके जवाब में 204 प्रविष्टियां मिलीं, जिनमें से इन 3 का चयन किया गया है। मैं राज्य गीत का चयन करने में इस माननीय सदन का समर्थन चाहता हूँ। मुझे आशा है कि यह गीत इस सदन की और राज्य के लोगों, जिनका हम सभी प्रतिनिधित्व करते हैं, की सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्त करेगा।

मैं इन तीन विकल्पों को आपके विचार के लिए प्रस्तुत करता हूँ और आपकी राय चाहता हूँ कि इन तीन विकल्पों में से किस गीत को प्रारंभ में आज से एक साल की अवधि के लिए राज्य गीत के रूप में अपनाया जाए।”

और 2 मिनट भाषण दिया ।

**प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।**

इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री भारत भूषण बत्रा, श्रीमती गीता भुक्कल और श्री जगबीर सिंह मलिक ने भी क्रमशः 2, 2 तथा एक मिनट भाषण दिया ।

निर्दलीय विधायक श्री रणधीर सिंह गोलन व श्री नयन पाल रावत ने भी क्रमशः 1, 1 मिनट भाषण दिया ।

मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस बारे में 2 मिनट भाषण दिया और स्थिति स्पष्ट की ।

तत्पश्चात सदन में हरियाणा राज्य गीत के लिए क्रमशः क, ख और ग यानि तीन गीतों को सुनवाया गया ।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि दिनांक 19.12.2023 यानि मंगलवार को वे सदन में अपनी अपनी पसंद के अनुसार इस बारे में अपना मत मतदान के दौरान दे सकते हैं। सदस्यों के मतदान के बाद ही ये फैसला किया जाएगा कि गीतों के इन तीन विकल्पों में से किस गीत को हरियाणा प्रदेश के राज्य गीत के रूप में चयनित किया जाए ।

मुख्यमंत्री महोदय ने सदस्यों से यह भी अनुरोध किया कि यदि कोई सदस्य हरियाणा राज्य गीत के लिए कोई नया प्रारूप भी देना चाहता है तो वह लिखित में दे सकता है । अध्यक्ष महोदय ने मुख्यमंत्री की बात पर सहमति जताते हुए कहा कि इस बारे में दिनांक 19.12.2023 को निर्णय कर लिया जाएगा ।

**1. जींद के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और उससे सम्बन्धित उप मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए मीडिया के वक्तव्य से सम्बन्धित मामला उठाना ।**

इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की सदस्य श्रीमती गीता भुक्कल ने जींद के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और उससे सम्बन्धित उप मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए मीडिया के वक्तव्य से सम्बन्धित मामला उठाते हुए कहा कि उन्होंने उनसे सम्बन्धित

जो बातें मीडिया में कही हैं उनके सम्बन्ध में या तो उनको कोई प्रूफ देना चाहिए या फिर सदन में खड़े होकर उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए । उन्होंने इस बारे में कड़ा विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि बगैर प्रूफ के इनको इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए । इस दौरान काफी देर तक चली चर्चा के दौरान श्रीमती गीता भुक्कल ने उप मुख्यमंत्री के प्रति कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग भी किया ।

इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री भारत भूषण बतरा और श्री शमशेर सिंह गोगी ने भी इस बारे में अपने विचार प्रकट किए ।

इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला ने भी इस बारे में अपने विचार प्रकट किए और सुझाव दिया कि इस सारे मामले की ज्युडिशियल जांच करवाई जानी चाहिए ताकि सारी स्थिति स्पष्ट हो सके ।

संसदीय कार्य मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस बारे में अपने विचार रखते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की । उप मुख्यमंत्री महोदय ने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि इस मामले की जांच हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से करवा ली जाए ताकि सारी स्थिति स्पष्ट हो जाए ।

मुख्यमंत्री महोदय ने अध्यक्ष महोदय से इस केस की पूरी इन्कवायरी करवाने की बात रखी ।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि यह बहुत गम्भीर विषय है और इस विषय पर दिनांक 19.12.2023 को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन में चर्चा के लिए स्वीकृत किया गया है फिर भी मामले की गम्भीरता को देखते हुए इस मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाने के लिए विधान सभा की तरफ से लिखा जाएगा ।

#### **15. शेम्फोर्ड स्कूल, बराड़ा, जिला अम्बाला के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन करना ।**

अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से शेम्फोर्ड स्कूल, बराड़ा, जिला अम्बाला के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया ।

#### **16. सदन के समय की अवधि को कम करने का मामला उठाना ।**

इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री भारत भूषण बतरा ने सदन के समय की अवधि को कम करने का मामला उठाते हुए अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि सदन का समय सायं 6 बजे की बजाय सायं 5 बजे तक कर दिया जाए तथा भोजनावकाश का समय एक घण्टे

से घटाकर 40 मिनट कर दिया जाए । अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से कहा कि यदि सदन की इस बारे में सहमति होगी तो सदन का समय कम किया जा सकता है ।

**17. उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा श्रीमती गीता भुक्कल द्वारा उनके विरुद्ध प्रयोग किए आपत्तिजनक शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकलवाने का मामला उठाना ।**

उप मुख्यमंत्री महोदय ने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक ने आज जो उनके विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है उनको सदन की कार्यवाही से निकलवाया जाना चाहिए । इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक द्वारा उप मुख्यमंत्री महोदय के विरुद्ध कहे गए आपत्तिजनक शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकलवा दिया ।

**18. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य**

**“जुलाई, 2023 में भारी बारिश के कारण बाढ़ एवं जलभराव के कारण हुए नुकसान का मुआवजा न मिलने से संबंधित”**

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्री वरुण चौधरी, विधायक तथा 2 अन्य विधायकों सर्वश्री अमित सिहाग तथा आफताब अहमद से जुलाई, 2023 में भारी बारिश के कारण बाढ़ एवं जलभराव के कारण हुए नुकसान का मुआवजा न मिलने से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 प्राप्त हुई है, जिसे उन्होंने स्वीकृत कर लिया है ।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 24, जो कि श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 10 के साथ जोड़ दिया गया है । श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक चर्चा के समय एक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 54, जो कि श्री नीरज शर्मा, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 10 के साथ जोड़ दिया गया है । श्री नीरज शर्मा, विधायक चर्चा के समय एक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

उन्होंने आगे श्री वरुण चौधरी, श्री अभय सिंह चौटाला एवं श्री नीरज शर्मा, विधायकों से अपनी अपनी सूचना पढ़ने तथा इसके बाद संबंधित मंत्री से इस बारे में वक्तव्य देने के लिए कहा ।

तत्पश्चात श्री वरुण चौधरी और श्री अभय सिंह चौटाला ने अपनी अपनी सूचना पढ़ी तथा श्री नीरज शर्मा ने कहा कि उनकी सूचना पढ़ी समझी जाए ।

तब उप मुख्यमंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया।

**19. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर पुनः रखे/रखे गए कागज-पत्र।**

संसदीय कार्य मंत्री ने नेवा पोर्टल के माध्यम से क्रम संख्या 1 से 22 तक कागज-पत्र सदन की मेज पर पुनः रखे और क्रम संख्या 23 से 58 तक कागज-पत्र सदन की मेज पर रखे।

**20. विशेषाधिकार मामले के संबंध में विशेषाधिकार समिति का दूसरा प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।**

The Chairperson of the Privileges Committee (Shri Narender Gupta) presented the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of Privilege given following notice dated 21st February, 2023 of by Shri Jogi Ram, MLA and Shri Anoop Dhanak, MLA against Shri Abhay Singh Chautala, MLA, that:-

"Shri Abhay Singh Chautala has brought certain wrong and misleading facts regarding the land acquired near/for the purpose of Hisar Airport, etc. Thus, by giving false and wrong facts, knowingly, intentionally and deliberately, he has lowered the prestige, status and dignity of the House particularly and members especially. The act of the said member, therefore, clearly constitutes Breach of Privilege, that too on the Floor of House. Besides this, the conduct of Shri Abhay Singh Chautala towards other member(s) remained unwarranted and unparliamentary, while he was speaking in the House." The matter was referred by the House to the Committee of Privileges on 21st February, 2023. The Committee was required to make a report to the House by the first sitting of the next Session i.e., on 15th December, 2023. The Committee has discussed the matter in its meetings held on 19.07.2023, 03.10.2023 & 18.10.2023 and decided to take the oral evidence of Shri Jogi Ram, MLA and Shri Anoop Dhanak, MLA on 02.08.2023, 18.10.2023 & 08.11.2023 respectively. However, the Hon'ble Members have not appeared before the Committee on all the three occasions for oral evidence. Further, the Committee in its meeting held on 06.12.2023 decided to give last opportunity to Shri Jogi Ram, MLA and Shri Anoop Dhanak, MLA to appear before the Committee on 27.12.2023

for oral evidence. As the issue is under active consideration of the Committee and needs detailed examination and mandatory procedural aspects to be followed, therefore, the Committee recommends more time for making the final report, therefore, he also beg to move-

that the time for presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next session.

**The motion was moved and carried.**

21. विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक ।

4. हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक, 2023

सायं 4.16 बजे उप मुख्यमंत्री ने हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित किया ।

*विधेयक पुरःस्थापित हुआ ।*

5. हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023

सायं 4.17 बजे सहकारिता मंत्री ने हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित किया ।

*विधेयक पुरःस्थापित हुआ ।*

6. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

सायं 4.17 बजे उच्चतर शिक्षा मंत्री ने हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित किया ।

*विधेयक पुरःस्थापित हुआ ।*

उपाध्यक्ष महोदय ने मध्याह्न-पश्चात् 12.35 बजे से दोपहर के भोजनावकाश के लिए सदन के स्थगित होने तक सदन की अध्यक्षता की ।

तब सभा सोमवार, 18 दिसम्बर, 2023 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

-----

## हरियाणा विधान सभा

**बुलेटिन संख्या-2**  
**सोमवार, 18 दिसम्बर, 2023**  
 ( प्रातः 11:00 बजे से सायं 6.16 बजे तक )

### 1. शोक प्रस्ताव.

मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय:-

1. श्रीमती कमलेश ढांडा के भतीजे श्री देवेन्द्र ढांडा;
2. लेफ्टिनेंट अक्षत; जिला हिसार के देहावसान का उल्लेख किया तथा 2 मिनट भाषण दिया।

उप मुख्यमंत्री ने भी कुछ पल के लिए भाषण दिया।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री वरुण चौधरी ने एक मिनट भाषण दिया। अध्यक्ष महोदय ने भी सदन में अभिव्यक्त की गई भावनाओं के साथ अपने आप को

सम्मिलित किया तथा कुछ पल के लिए भाषण दिया।

यह विनिश्चित किया गया कि शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजे जाएं।

दिवंगतों की पुण्य-स्मृति के प्रति सम्मान के रूप में सभा ने खड़े होकर एक मिनट के लिए मौन धारण किया।

### 2. प्रश्न

(क) तारांकित:

क्रम पत्र पर कुल संख्या	उत्तरित	न पूछे गए	स्थगित किए गए	अनुपूरकों की संख्या
20	14	01	.	25

शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए समझे गए तथा उनके उत्तर सदन की मेज पर रखे गए।

(ख) अतारांकित: 40

3. चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर एवं चंडीगढ़ नगर निगम के 13 भूतपूर्व महापौरों और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, लोकरा, जिला गुरुग्राम के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन करना

प्रश्न काल के दौरान, अध्यक्ष महोदय ने अपनी ओर से तथा सदन की ओर से-

(क) श्री अनूप गुप्ता, महापौर, चंडीगढ़ नगर निगम एवं चंडीगढ़ नगर निगम के 13 भूतपूर्व महापौरों का जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

(ख) राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, लोकरा, जिला गुरुग्राम के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

#### 4. वाक आउट

प्रश्न काल के दौरान, सदन में उपस्थित इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला उनके द्वारा दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 30 पर उनके द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न का खेल मंत्री द्वारा संतोषजनक उत्तर न दिए जाने के कारण विरोधस्वरूप सदन से वाक आउट कर गए।

#### 5. अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य मंत्री, हरियाणा तथा सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में सूचना देना।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि—

(क) उन्हें श्रीमती कमलेश ढांडा, राज्य मंत्री, हरियाणा से दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके भतीजे का आकस्मिक निधन हो गया है इसलिए वे दिनांक 18 दिसम्बर और 19 दिसम्बर, 2023 को होने वाली सदन की बैठकों में उपस्थित नहीं हो सकती हैं।

(ख) उन्हें श्री राकेश दौलताबाद, विधायक से ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि जरूरी कारणों से उनको चंडीगढ़ से बादशाहपुर वापस जाना पड़ा है इसलिए वे आज दिनांक 18.12.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(ग) उन्हें श्री भव्य बिश्नोई, विधायक से ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी और उनके छोटे भाई की शादी समारोह की तैयारियों की व्यवस्था के चलते वे दिनांक 18 दिसम्बर व 19 दिसम्बर, 2023 को होने वाली सदन की बैठकों में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

6. शून्यकाल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज सर्वश्री बिशन लाल सैनी, लीला राम, इन्दुराज, सुभाष गांगोली, श्रीमती निर्मल रानी, नयन पाल रावत, बलबीर सिंह, मामन खान, विनोद भ्याना, सीता राम, नरेन्द्र गुप्ता, श्रीमती सीमा त्रिखा, भारत भूषण बतरा, दीपक मंगला और धर्मपाल गोंदर, विधायकों को शून्यकाल में बोलने के लिए 4-4 मिनट का समय दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने श्री बिशन लाल सैनी को शून्य काल में अपनी बात रखने के लिए कहा।

7. श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक द्वारा जींद के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ से सम्बन्धित मामले पर दिनांक 15.12.2023 को सदन में उप मुख्यमंत्री और उनके बीच हुए विवाद का मामला उठाना।

जैसे ही अध्यक्ष महोदय ने श्री बिशन लाल सैनी को शून्यकाल में बोलने के लिए कहा, उसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल ने दिनांक 15.12.2023 को उनके विरुद्ध उप मुख्यमंत्री द्वारा मीडिया में जो बयान दिया गया था उसका उल्लेख करते हुए अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि वे इस बारे में आज रिटन स्टेटमेंट देना चाहती हैं। अध्यक्ष महोदय ने सदस्या को कहा कि इस बारे में उसी दिन हाउस की ओर से डिस्मिशन हो गया था कि इस केस की इन्कवायरी पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाएगी इसलिए आज इस मामले को पुनः सदन में उठाने का कोई औचित्य नहीं है। विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और श्रीमती गीता भुक्कल काफी देर तक इस मामले पर अध्यक्ष महोदय से तर्क वितर्क करते रहे। अध्यक्ष महोदय ने सदन को बताया कि जब दिनांक 15.12.2023 को पूरे सदन की सहमति से यह डिस्मिशन हो रहा था तो उस समय किसी भी सदस्य ने इसको अपोज नहीं किया था। श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अध्यक्ष महोदय से जानना चाहा कि जो यह इन्कवायरी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जा रही है उसके टर्मज आफ रैफरेंस क्या होंगे। अध्यक्ष महोदय ने उनको बताया कि उस दिन इस बारे में सदन में जो एलीगेशंज और काउंटर एलीगेशंज लगे हैं वही टर्मज आफ रैफरेंस होंगे। विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा अध्यक्ष महोदय की बात से सहमत नहीं हुए और वे लगातार अध्यक्ष महोदय से इस सम्बन्ध में तर्क वितर्क करते रहे।



उप मुख्यमंत्री महोदय ने इस बारे में अपनी क्लैरीफिकेशन देते हुए कहा कि उन्होंने दिनांक 15.12.2023 को जो वर्ष 2011 कहा था उसको वर्ष 2012 मान लिया जाना चाहिए ।

मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस चर्चा में हस्ताक्षेप करते हुए कहा कि गृह विभाग द्वारा पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस बारे में इन्कवायरी करने के लिए जो पत्र लिखा जाने वाला है उसमें सारे टर्मज आफ रैफरेंस होंगे । उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे में जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं वह सब इन्कवायरी में क्लीयर हो जाएंगे और उसके पश्चात जो भी कार्यवाही करनी होगी वह की जाएगी । उन्होने सदन को यह भी बताया कि अगर पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस इन्कवायरी के लिए डिक्लाइन कर देते हैं तभी किसी अन्य ऑप्शन पर विचार किया जा सकता है अन्यथा जो भी डिस्मिशन हाउस ने इस बारे में लिया है अभी हमें उस पर ही आगे बढ़ना चाहिए ।

उर्जा मंत्री ने भी इस बारे में अपने विचार रखे ।

इस विषय पर विपक्ष के सदस्य काफी देर तक सदन में अध्यक्ष महोदय से तर्क वितर्क करते रहे । अध्यक्ष महोदय ने सदन के सदस्यों से निवेदन किया कि इस विषय में सदन ने पहले ही फैसला ले लिया है इसलिए सभी सदस्य अपनी अपनी सीटों पर बैठें ।

#### 8. हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों और गवर्नमेंट कॉलेज, पटौदी, जिला गुरुग्राम के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन करना ।

जींद के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ से सम्बन्धित मामले पर चर्चा के दौरान, अध्यक्ष महोदय ने अपनी ओर से तथा सदन की ओर से—

(क) श्री जसबीर सिंह मलौर, श्री रामबीर सिंह, श्री रामफल कुण्डू एवं श्री धर्मपाल ओबरा, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया ।

(ख) गवर्नमेंट कॉलेज, पटौदी, जिला गुरुग्राम के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया ।

#### 9. बैठक का स्थगन ।

(क) जींद के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ से सम्बन्धित मामले पर चर्चा के दौरान जब सदन में काफी देर तक शोर गुल होता रहा तो उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि अब सदन 15 मिनट के लिए स्थगित रहेगा ।

तत्पश्चात् सदन मध्याह्न-पश्चात् 12:49 बजे 15 मिनट के लिए स्थगित हुआ तथा मध्याह्न-पश्चात् 1:04 बजे पुनः समवेत हुआ।

(जब सदन समवेत हुआ तो उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की अध्यक्षता की।

(ख) जब सदन समवेत हुआ तो उपाध्यक्ष महोदय ने पुनः घोषणा की कि दोपहर के भोजनावकाश के लिए सदन 1 घण्टे के लिए स्थगित रहेगा।

तत्पश्चात् सदन मध्याह्न-पश्चात् 1:04 बजे 1 घण्टे के लिए स्थगित हुआ तथा मध्याह्न-पश्चात् 2:04 बजे पुनः समवेत हुआ।

(जब सदन समवेत हुआ तो अध्यक्ष महोदय ने सदन की अध्यक्षता की।

#### 10. शून्य काल के सम्बन्ध में सूचना देना ।

जब सदन पुनः समवेत हुआ तो अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि वैसे तो अब शून्यकाल का समय समाप्त हो गया है लेकिन उनके विचार से सभी सदस्यों को शून्यकाल में बोलने के लिए समय मिलना चाहिए इसलिए आज का बिजनैस समाप्त होने के बाद शून्य काल शुरू किया जाएगा।

#### 11. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य

**“राज्य में नवम्बर, 2023 में जहरीली/नकली शराब के पीने के कारण यमुनानगर तथा अम्बाला जिले में 22 व्यक्तियों की मौत से सम्बन्धित”**

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक से राज्य में नवम्बर, 2023 में जहरीली/नकली शराब के पीने के कारण यमुनानगर तथा अम्बाला जिले में 22 व्यक्तियों की मौत से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 प्राप्त हुई है, जिसे उन्होंने स्वीकृत कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 23, जो कि श्री बलराज कुण्डू, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 15 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री बलराज कुण्डू, विधायक चर्चा के समय एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 29, जो कि श्री नीरज शर्मा, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

संख्या 15 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री नीरज शर्मा, विधायक चर्चा के समय एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि स्थगन प्रस्ताव संख्या 1, जो कि श्री बिशन लाल सैनी, विधायक तथा 12 अन्य विधायकों (श्री वरुण चौधरी, श्री मेवा सिंह, श्री भारत भूषण बतरा, श्री कुलदीप वत्स, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्रीमती रेनु बाला, श्री शीशपाल सिंह, श्रीमती शैली, श्रीमती शकुन्तला खटक, श्री आफताब अहमद, राव दान सिंह तथा श्रीमती गीता भुक्कल) द्वारा दी गई है, को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 55 में परिवर्तित कर दिया है तथा समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 15 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री बिशन लाल सैनी, विधायक भी प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 44, जो कि श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 15 के साथ जोड़ दिया गया है। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक भी चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकती हैं।

उन्होंने आगे श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक को अपनी सूचना पढ़ने तथा इसके बाद संबंधित मंत्री से इस बारे में वक्तव्य देने के लिए कहा।

श्री अभय सिंह चौटाला ने अपनी सूचना पढ़ी।

तब गृह मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया।

**12. पी.एम. श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, खुंगा कोठी, जिला जींद के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन करना।**

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान, अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से पी.एम. श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, खुंगा कोठी, जिला जींद के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

**13. वर्ष 2019-20, 2020-21, तथा 2021-22 के लिए अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगों पर प्रस्तुतीकरण, चर्चा तथा मतदान।**

मुख्यमंत्री महोदय ने वर्ष 2019-20, 2020-21, तथा 2021-22 के लिए अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगों को नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को बताया कि पूर्व प्रधानुसार तथा सदन का समय बचाने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांड्स (8 और 23, 35 और 7) एक साथ पढ़ी गई तथा

मूव की गई समझी जाएंगी। उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे उस मांग संख्या को इंगित करें जिस पर वे चर्चा करना चाहते हैं।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्रीमती गीता भुक्कल, श्री आफताब अहमद तथा श्री भारत भूषण बतरा ने क्रमशः 3, 2 और 2 मिनट भाषण दिया।

मुख्यमंत्री महोदय ने भी कुछ पल के लिए भाषण दिया।

क) वर्ष 2019–20

डिमांड्स नं. 8 और 23 एक साथ रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

ख) वर्ष 2020–21

डिमांड नं. 35 रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

ग) वर्ष 2021–22

डिमांड नं. 7 रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

**14. नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2023–2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) प्रस्तुत करना।**

मुख्यमंत्री महोदय ने नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2023–2024 (दूसरी किस्त) के लिए अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किये।

**15. नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2023–24 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।**

प्राक्कलन समिति के चेयरपर्सन श्री मोहन लाल बड़ौली ने नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2023–24 के अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

**16. वर्ष 2023–2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) पर चर्चा तथा मतदान।**

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को बताया कि पूर्व प्रथानुसार तथा सदन का समय बचाने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई सभी मांगें (संख्या 3 से 6, 10, 12, 15, 17 तथा 19 और 20) एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी। माननीय सदस्यगण किसी भी डिमांड पर चर्चा हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 201 के तहत कर सकते हैं। अनुपूरक अनुदानों पर बहस उन मुद्दों तक ही सीमित रहेगी जिनसे वे बनी हों और जहां तक विचाराधीन विशेष मुद्दों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो, उस सीमा तक, मूल अनुदानों पर या उनसे संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी। उन्होंने सदस्यों से पुनः निवेदन किया कि वे उस मांग का क्रमांक बता दें जिस पर वे चर्चा करना चाहते हैं।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य सर्वश्री भारत भूषण बतरा, शमशेर सिंह गोगी, मेवा सिंह, बिशन लाल, नीरज शर्मा, कुलदीप वत्स, शीशपाल सिंह, प्रदीप चौधरी, वरुण चौधरी, इन्दुराज, राव दान सिंह, जयवीर, जगबीर सिंह मलिक, रघुवीर सिंह कादियान, बलबीर सिंह और मामन खान ने क्रमशः 9, 3, 2, 1, 2, 5, 2, 1, 4, 3, 1, 1, 4, 8, 3 और 4 मिनट्स भाषण दिया ।

सत्ता पक्ष के सदस्य श्री राम कुमार गौतम, श्री जगदीश नायर, श्री जोगी राम सिहाग और श्री लक्ष्मण नापा ने क्रमशः 5, 1, 2 और 1 मिनट भाषण दिया ।

निर्दलीय विधायक श्री बलराज कुण्डू ने 2 मिनट भाषण दिया ।

मुख्यमंत्री ने उत्तर देते हुए 2 मिनट भाषण दिया ।

मांग संख्या 3 से 6 एक साथ रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई ।

मांग संख्या 10 रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई ।

मांग संख्या 12 रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई ।

मांग संख्या 15 रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई ।

मांग संख्या 17 रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई ।

मांग संख्या 19 और 20 एक साथ रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई ।

#### 17. डिमांड्स की हार्ड कॉपी सदस्यों को उपलब्ध करवाने के बारे में मामला उठाना ।

वर्ष 2023-2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) पर चर्चा के दौरान इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री भारत भूषण बतरा ने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि डिमांड्स की हार्ड कॉपी भी सदस्यों को उपलब्ध करवाई जाएं । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वे भविष्य में इस बारे में ध्यान रखेंगे ।

#### 18. पी.एम. श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गंगवा, जिला हिसार के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन करना ।

वर्ष 2023-2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) पर चर्चा के दौरान, उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से पी.एम. श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गंगवा, जिला हिसार के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया ।

19. विधायी कार्य—

(क) (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक, 2023

सायं 4.32 बजे उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया—

कि हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर तुरन्त विचार किया जाए।

*प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।*

तब विधेयक की क्लोजिंग पर विचार किया गया।

सब क्लोज 2 ऑफ क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3, सब क्लोज 1 ऑफ क्लोज 1, इनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल एक-एक करके रखे गए तथा स्वीकृत हुए।

उप मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया—

कि विधेयक पारित किया जाए।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य डा० रघुवीर सिंह कादियान ने 2 मिनट्स भाषण दिया।

उप मुख्यमंत्री महोदय ने जबाब देते हुए 2 मिनट्स भाषण दिया।

*प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।*

20. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 15.12.2023 और 18.12.2023 को सदन में सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों का जवाब देना।

विधायी कार्य के दौरान मुख्यमंत्री महोदय ने दिनांक 15.12.2023 और आज दिनांक 18.12.2023 को सदन में सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों का सदन में विस्तृत जवाब दिया।

21.. विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

2. हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं

में दाखिले आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 को वापिस लेना।

विधायी कार्य के दौरान जैसे ही अध्यक्ष महोदय ने हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 को विचार के लिए प्रस्तुत

करने के लिए कहा, मुख्यमंत्री महोदय ने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि प्रशासनिक कारणों की वजह से उन्हें इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से घोषणा की कि हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 को प्रशासनिक कारणों की वजह से वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

### 3. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

सायं 5:04 बजे उच्चतर शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया—

कि हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पर तुरन्त विचार किया जाए।

*प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।*

तब विधेयक की क्लोजिंग पर विचार किया गया।

क्लाज 2, क्लोज 1, इन्वैकिंग फार्मूला तथा टाइटल एक-एक करके रखे गए तथा स्वीकृत हुए।

उच्चतर शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया—

कि विधेयक पारित किया जाए।

*प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।*

22. श्री भारत भूषण बतरा, विधायक द्वारा जींद के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ से सम्बन्धित मामले पर हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इन्कवायरी करवाने के मामले पर पुनर्विचार करने का मामला उठाना।

जैसे ही अध्यक्ष महोदय ने शून्य काल शुरू करने की घोषणा की उसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री भारत भूषण बतरा ने जींद के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ से सम्बन्धित मामले पर श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक और उप मुख्यमंत्री महोदय के बीच हुए आरोप प्रत्यारोप की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाने के मामले को उठाते हुए अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि इस बारे में एक बार पुनः

विचार किया जाना चाहिए । उन्होंने अपनी बात के समर्थन में रूलज आफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट आफ बिजनैस इन द हरियाणा लैजिस्लेटिव के रूलज 112(1) को भी उद्धृत किया । इसके अलावा उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 194 की क्लॉज 2 को भी उद्धृत किया । उन्होंने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि अगर विधान सभा की तरफ से कोई भी रैफरेंस हाई कोर्ट में जाएगा और उस सम्बन्ध में वहां से जो फाइंडिंग्स/इनडैक्टमेंट आएंगी वे इस सदन की प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती । उन्होंने यह भी कहा कि विधान सभा के सदस्य को सदन में कुछ भी बोलने का अधिकार है, चाहे वह झूठ ही क्यों न बोले लेकिन सदन की कार्यवाही को हाई कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता ।

मुख्यमंत्री महोदय ने श्री भारत भूषण बतरा के सुझाव पर अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि इस बारे में विचार करने के लिए दिनांक 19.12.2023 को सेशन शुरू होने से पहले अथवा सेशन के दौरान कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग बुला ली जाए और उसमें सम्बन्धित पक्षों को भी बुला लें ताकि सारी बातों पर विचार किया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय ने मुख्यमंत्री के सुझाव पर सदन को सूचित किया कि दिनांक 19.12.2023 को कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुला ली जाएगी और तब तक एल.आर. की ओपिनियन भी आ जाएगी ।

### 23. शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना ।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों/मांगों को उठाने की अनुमति दी । तत्पश्चात्, सर्वश्री बिशन लाल सैनी, लीला राम, इन्दुराज, दुड़ा राम, सुभाष गांगोली, श्रीमती निर्मल रानी, नयन पाल रावत, बलबीर सिंह, मामन खान, विनोद भ्याना, सीता राम, नरेन्द्र गुप्ता, भारत भूषण बतरा, दीपक मंगला और धर्मपाल गोंदर, विधायकों, ने उन से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न मामलों/मांगों को उठाया ।

### 24. श्री आफताब अहमद, विधायक द्वारा सदन की अधिकारी दीर्घा में शून्य काल के दौरान किसी भी सीनियर अधिकारी के न बैठे होने बारे मामला उठाना ।

शून्य काल के दौरान, श्री आफताब अहमद, विधायक ने सदन की अधिकारी दीर्घा में शून्य काल के दौरान किसी भी सीनियर अधिकारी के न बैठे होने बारे मामला उठाते हुए अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि शून्य काल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है लेकिन अगर इस दौरान अधिकारी



दीर्घा में कोई भी सीनियर अधिकारी नहीं बैठा हुआ होगा तो इससे पता लगता है कि वे शून्यकाल के प्रति कितने गम्भीर हैं।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्य को कहा कि उन्होंने जो यह प्रश्न उठाया है इसका नोटिस लिया जाएगा।

**25. आर्ट ऑफ लिविंग के सत्र में भाग लेने के सम्बन्ध में सूचना देना।**

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि हरियाणा विधान सभा सचिवालय द्वारा पहली बार आर्ट ऑफ लिविंग के मार्गदर्शन में तनाव मुक्ति एवं प्रसन्नता के लिए दिनांक 19.12.2023 को प्रातः 7:00 बजे से 9:00 बजे तक हरियाणा निवास, सैक्टर-3, चण्डीगढ़ में एक सत्र का आयोजन किया जा रहा है इसलिए उन्होंने सभी सदस्यों से इस सत्र में शामिल होने के लिए अनुरोध किया।

उपाध्यक्ष महोदय ने, मध्याह्न पश्चात 3:22 बजे से सायं 4:54 बजे तक सदन की अध्यक्षता की।

अध्यक्ष महोदय ने सायं 6 बजे सदन की सहमति से सदन का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया।

तब सभा मंगलवार, 19 अगस्त, 2023 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

.....

**बुलेटिन संख्या-3**  
**मंगलवार, 19 दिसम्बर, 2023**

(प्रातः 11:00 बजे से सायं 6.40 बजे तक)

**1. प्रश्न**

(क) तारांकित:

क्रम पत्र पर कुल संख्या	उत्तरित	न पूछे गए	स्थगित किए गए	अनुपूरकों की संख्या
20	14	01	-	17

शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए समझे गए तथा उनके उत्तर सदन की मेज पर रखे गए।

(ख) अतारांकित: 17

**2. पीएम श्री राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चौटाला, जिला सिरसा के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन करना ।**

प्रश्न काल के दौरान, अध्यक्ष महोदय ने अपनी तथा सदन की ओर से पीएम श्री राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चौटाला, जिला सिरसा के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया ।

**3. जन संवाद कार्यक्रम के दौरान विधायकों को उसमें बुलाने बारे मामला उठाना ।**

विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अध्यक्ष महोदय से कहा कि उनके हल्के में जन संवाद कार्यक्रम हो गया लेकिन उन्हें इसके लिए कोई भी सूचना नहीं दी गयी । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने सदन को आश्वस्त कर दिया है कि भविष्य में सभी विधायकों को इसकी सूचना दी जाएगी ।

**4. हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री का अभिनन्दन करना ।**

अध्यक्ष महोदय ने अपनी तथा सदन की ओर से कैप्टन अजय सिंह यादव, भूतपूर्व मंत्री, हरियाणा जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया ।

**5. सदस्य की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना ।**

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्री प्रमोद कुमार विज, विधायक से ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे आज दिनांक 19.12.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

**6. ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्ताव/गैर सरकारी प्रस्तावों/अल्पावधि चर्चा के प्रस्तावों/सरकारी प्रस्ताव/ नियम 84 के अधीन प्रस्ताव तथा विधेयकों के बारे में सूचना।**

जब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य डा. रघुवीर सिंह कादियान और श्रीमती किरण चौधरी तथा उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों ने उनके द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्ताव/गैर सरकारी प्रस्तावों/अल्पावधि चर्चा के प्रस्ताव की सूचना का परिणाम जानना चाहा तो अध्यक्ष महोदय ने उन्हें सूचित किया कि जैसे तो इस बारे में उन्होंने दिनांक 15.12.2023 को ही सूचना दे दी थी फिर भी उन्होंने सदन की जानकारी के लिए बताया कि अब तक विधान सभा सचिवालय को जितने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव/गैर सरकारी प्रस्ताव/सरकारी प्रस्ताव/अल्पावधि चर्चा के प्रस्ताव, नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा के नोटिस मिलें हैं उनमें से कुछ को स्वीकृत कर लिया गया है, कुछ अस्वीकृत कर दिए गए हैं या कुछ अभी सरकार के विचाराधीन हैं। जो एक स्थगन प्रस्ताव आया था उसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 55 में परिवर्तित करके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 15 के साथ क्लब करके उस पर दिनांक 18.12.2023 को चर्चा करवाई जा चुकी है।

डा. रघुवीर सिंह कादियान, विधायक ने किसानों की दयनीय हालत के बारे में दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के परिणाम के बारे में जानना चाहा तो अध्यक्ष महोदय ने उन्हें सूचित किया कि उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय ने हरियाणा विधान सभा सचिवालय में अब तक प्राप्त हुए विभिन्न विधेयकों के बारे में भी जानकारी दी।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को यह भी बताया कि जो एक सरकारी प्रस्ताव हरियाणा राज्य के गीत के चयन के लिए सरकार की तरफ से आया था उस पर आज फैसला होना है।

**7. सदस्यों द्वारा विभिन्न मामलों को उठाना।**

सत्ता पक्ष के सदस्य श्री ईश्वर सिंह ने उनके द्वारा दिए गए अनुसूचित जाति के लिए चुनाव आयोग और परिसीमन आयोग से 18 सीटें आरक्षित करवाने के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का परिणाम जानना चाहा तो अध्यक्ष महोदय ने उनको सूचित किया कि उनका यह प्रस्ताव अभी सरकार के पास विचाराधीन है। श्री ईश्वर सिंह अध्यक्ष महोदय की इस बात से सहमत नहीं हुए और उन्होंने कहा कि इस बारे में चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए। उन्होंने इस बारे में काफी देर तक अध्यक्ष महोदय से तर्क वितर्क किया। मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस विषय में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि आरक्षित सीटें 18 नहीं बल्कि 22 बनती हैं। उन्होंने यह भी बताया

कि परिसीमन आयोग के गठन के पश्चात् ही इस बारे में चुनाव आयोग या परिसीमन आयोग को कोई रैजोल्यूशन भेजा जा सकता है ।

सत्ता पक्ष के सदस्य श्री रामकुमार गौतम ने आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यदि कोई सामान्य जाति का लड़का अनुसूचित जाति की लड़की से विवाह करता है तो वह विवाह के पश्चात् आरक्षण का लाभ उठाते हुए सरपंच या विधायक भी बन सकता है । इस तरह से अनुसूचित जाति को आरक्षण का नुकसान होता है इसलिए उन्होंने सरकार से इस ओर भी ध्यान देने के लिए कहा ।

**8. डा. रघुवीर सिंह कादियान, विधायक द्वारा उनके द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में पुनः मामला उठाना ।**

जब डा. रघुवीर सिंह कादियान, विधायक ने उनके द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में पुनः मामला उठाते हुए उनका परिणाम जानना चाहा तो अध्यक्ष महोदय ने उनको बताया कि उनके द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए गए हैं । डा. रघुवीर सिंह कादियान अध्यक्ष महोदय की बात से सहमत नहीं हुए और उन्होंने अध्यक्ष महोदय से कहा कि ये दोनों प्रस्ताव किसानों से जुड़े हुए हैं तथा किसान अपनी समस्याओं के निवारण के लिए धरनों पर बैठे हैं । डा. रघुवीर सिंह कादियान इस बारे में अध्यक्ष महोदय से काफी देर तक तर्क वितर्क करते रहे । सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने डा. रघुवीर सिंह कादियान के व्यवहार पर आपत्ति व्यक्त की । इस पर डा. रघुवीर सिंह कादियान नाराज हो गए और उन्होंने अध्यक्ष महोदय से सदन में व्यवस्था बनाने की मांग की, सदन में व्यवस्था न बनती देख उन्होंने सदन को बूचड़खाना तक कह-दिया । उनके इस शब्द पर सत्ता पक्ष के अन्य सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय से कड़ी नाराजगी जताई और उनसे इस शब्द के लिए माफी मांगने को कहा । जब डा. रघुवीर सिंह कादियान ने इस शब्द पर माफी नहीं मांगी तो काफी देर तक इस शब्द को लेकर सदन में गहमा गहमी होती रही । इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने डा. रघुवीर सिंह कादियान को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो वे इस शब्द के लिए सदन में खड़े होकर माफी मांगें अन्यथा वे उनको सदन की शेष अवधि के लिए सदन से निलम्बित कर देंगे ।

विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि अगर उनको डा. रघुवीर सिंह कादियान के कहे हुए किसी शब्द से आपत्ति है तो वह उसको सदन की कार्यवाही से निकाल सकते हैं । अध्यक्ष महोदय ने सदन को बताया कि कोई भी सदस्य इस तरह से सदन को बूचड़खाना नहीं कह सकता । अध्यक्ष महोदय ने पुनः

डा. रघुवीर सिंह कादियान से कहा कि या तो वे इसके लिए माफी मांगें अन्यथा सदन से बाहर चले जाएं ।

उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी अध्यक्ष महोदय से कहा कि डा. रघुवीर सिंह कादियान का व्यवहार सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है और उन्होंने सदन में दूसरी बार ऐसा व्यवहार किया है इसलिए उन्होंने अध्यक्ष महोदय से इस बारे में उचित कार्यवाही करने के बारे में भी कहा । गृह मंत्री ने भी अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि उन्हें उनको सदन से बाहर जाने के अपने आदेश का पालन करवाना चाहिए चाहे उसके लिए अध्यक्ष महोदय को मार्शल को ही क्यों न बुलवाना पड़े ।

इस विषय पर काफी देर तक चली चर्चा के पश्चात् श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि डा. रघुवीर सिंह कादियान अपने द्वारा कहे गए बूचड़खाना शब्द के लिए रिग्रेट करने के लिए तैयार हैं इसलिए उनको सदन से बाहर जाने के लिए न कहा जाए । इसके बाद डा. रघुवीर सिंह कादियान ने सदन में खड़े होकर रिग्रेट किया, तत्पश्चात् यह मामला यहीं समाप्त हो गया ।

#### 9. स्वतंत्रता सेनानी का अभिनन्दन करना ।

संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी तथा सदन की ओर से अध्यक्ष महोदय के मामा श्री लाल चंद जी, स्वतंत्रता सेनानी, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया ।

#### 10. श्री भारत भूषण बतरा, विधायक द्वारा हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए दिनांक 25 अगस्त, 2023 के परिपत्र का मुद्दा उठाना ।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री भारत भूषण बतरा ने हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा Clarification regarding holding of meetings by the MLAs at District Level (or with District Level Officers) के बारे दिनांक 25 अगस्त, 2023 को जारी परिपत्र का हवाला देते हुए अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि इस तरह के परिपत्र से विधायक की गरिमा को ठेस पहुंची है इसलिए यह प्रिविलेज का मामला बनता है । उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 280 के तहत इस बारे में एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस भी दिया हुआ था । अध्यक्ष महोदय ने उनको बताया कि यह मामला प्रिविलेज का नहीं बनता है । श्री भारत भूषण बतरा ने बताया कि इस परिपत्र के अनुसार तो कोई भी विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए ओफिसर्ज की मीटिंग

ही नहीं बुला सकता है और न ही वह ओपन दरबार की अध्यक्षता कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर वह जनता की समस्याओं का समाधान कैसे करवाएगा। विधायक तो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है और प्रोटोकाल में भी वह अधिकारियों से उपर होता है इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की कि इस बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए।

विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने भी अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए विधायक बेशक किसी भी अधिकारी को अपने घर न बुलाए लेकिन उसको यह अधिकार तो होना चाहिए कि वह अधिकारी को रैस्ट हाउस में बुलाकर अपने हल्के की जनता की समस्याओं के बारे में बात कर सके।

मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस विषय में चल रही चर्चा में हस्ताक्षेप करते हुए स्थिति स्पष्ट की और कुछ देर तक चली चर्चा के पश्चात् उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि विधायक अपनी हल्के की जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए किसी भी सरकारी अधिकारी के पास उसके कार्यालय में जा सकता है या रैस्ट हाउस में किसी अधिकारी को बुलवा भी सकता है लेकिन वह अधिकारिक तौर पर अधिकारियों की मीटिंग नहीं बुला सकता है और न ही वह ओपन दरबार की अध्यक्षता कर सकता है क्योंकि सदस्यों के पास कार्यकारी शक्तियां नहीं हैं।

सत्ता पक्ष के सदस्य श्री राम कुमार गौतम ने भी उपरोक्त विषय पर अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि इस तरह का परिपत्र जारी करना एक तरह से विधायकों का अपमान है।

#### 11. राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, चौटाला, जिला सिरसा के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन करना।

अध्यक्ष महोदय ने अपनी तथा सदन की ओर से राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, चौटाला, जिला सिरसा के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

#### 12. मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़ों की सूचना देना।

मुख्यमंत्री महोदय ने सदन को सूचित किया कि पी.एल.एफ.एस. की जुलाई-सितम्बर, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत की बेरोजगारी दर 6.6 परसेंट थी और हरियाणा की यह दर 5.2 परसेंट थी। इसी तरह से उन्होंने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान राज्यों की बेरोजगारी दर के आंकड़े भी सदन में प्रस्तुत किए।

विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने भी इस बारे में विचार व्यक्त किए।

**13. शून्यकाल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना देना ।**

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज श्रीमती सीमा त्रिखा, सर्वश्री सुरेन्द्र पंवार, लक्ष्मण सिंह यादव, प्रवीण डागर, संजय सिंह, शीशपाल सिंह, राम निवास, मोहन लाल बड़ोली, आफताब अहमद, प्रमोद कुमार विज, घनश्याम दास, मेवा सिंह, कुलदीप वत्स, सत्य प्रकाश जरावता, प्रदीप चौधरी, रणधीर सिंह गोलन, नीरज शर्मा, श्रीमती रेनू बाला, धर्म सिंह छोक्कर, जगबीर सिंह मलिक, श्रीमती किरण चौधरी, सुभाष सुधा, असीम गोयल, मोहम्मद इलियास, जोगी राम सिहाग, डा. कृष्ण लाल मिड्डा, जगदीश नायर, लक्ष्मण नापा, हरविन्द्र कल्याण, श्रीमती नैना सिंह चौटाला, अमरजीत ढांडा, रामकरण, श्रीमती शकुंतला खटक, राजेश नागर, सुधीर सिंगला, बिशम्बर सिंह, श्रीमती शैली चौधरी, अमित सिहाग, रामकुमार और घनश्याम सर्राफ, विधायकों को शून्य काल में बोलने के लिए समय दिया जाएगा।

**14. शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना।**

अध्यक्ष/सभापति महोदय ने सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों/मांगों को उठाने की अनुमति दी। तत्पश्चात्, श्रीमती सीमा त्रिखा, सर्वश्री सुरेन्द्र पंवार, लक्ष्मण सिंह यादव, प्रवीण डागर, संजय सिंह, शीशपाल सिंह, राम निवास और आफताब अहमद, विधायकों ने उन से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न मामलों/मांगों को उठाया।

**15. बैठक का स्थगन।**

सभापति महोदय ने घोषणा की कि दोपहर के भोजन अवकाश के लिए सदन एक घंटे के लिए स्थगित रहेगा।

तत्पश्चात् सदन मध्याह्न-पश्चात् 1:33 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुआ तथा मध्याह्न-पश्चात् 2:33 बजे पुनः समवेत हुआ।

(जब सदन समवेत हुआ तो उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की अध्यक्षता की।)

**16. उप मुख्यमंत्री द्वारा कल दिनांक 18.12.2023 को जींद के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ से संबंधित मामले पर चर्चा के दौरान श्री भारत भूषण बतरा, विधायक द्वारा संविधान के आर्टिकल 105 को उद्धृत करने के संबंध में मामला उठाना।**

उप मुख्यमंत्री महोदय ने जींद के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ से संबंधित मामले पर चर्चा के दौरान श्री भारत भूषण बतरा, विधायक द्वारा दिनांक 18.12.2023 को सदन में उद्धृत किए गए भारतीय संविधान के आर्टिकल 105 का मामला उठाते

हुए कहा कि उन्होंने जिस भी किताब से इस आर्टिकल का रैफरेंस दिया है उसमें शायद प्रिंटर या किताब की मिस्टेक है इसलिए उन्होंने श्री भारत भूषण बतरा को सुझाव दिया कि वे सदन के रिकार्ड में इसको ठीक करवा लें। श्री भारत भूषण बतरा ने कहा कि उन्होंने पहले ही इस बारे में अध्यक्ष महोदय को अपनी एप्लीकेशन देते हुए कहा है कि इसमें पब्लिशर की गलती है इसलिए इसको रिकार्ड में ठीक करवा दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिस किताब से उन्होंने उसको पढ़ा था उसकी फोटो स्टेट कॉपीज भी एप्लीकेशन के साथ संलग्न कर दी है। उप मुख्यमंत्री महोदय ने उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि अगर किसी पब्लिशर ने हमारे संविधान को फेक्चुअली इनकरैक्ट प्रिंट किया है तो उसके खिलाफ भी हरियाणा विधान सभा सचिवालय की तरफ से कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाएं।

#### 17. शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना।

उपाध्यक्ष/अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों/मांगों को उठाने की अनुमति दी। तत्पश्चात् सर्वश्री घनश्याम दास, मेवा सिंह, कुलदीप वत्स, सत्य प्रकाश जरावता, प्रदीप चौधरी और रणधीर सिंह गोलन, विधायकों ने उन से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न मामलों/मांगों को उठाया।

#### 18. पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, खुंगा कोठी, जिला जींद के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन।

शून्य काल के दौरान उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, खुंगा कोठी, जिला जींद के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

#### 19. मुख्यमंत्री द्वारा टैक्स संबंधी शासन सुधार में हरियाणा को प्रथम पुरस्कार मिलने पर बधाई देना एवं जी.एस.टी. में पर कैपिटा कलैक्शन में हरियाणा के प्रथम स्थान पर आने के बारे में सूचना देना।

मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि टैक्स संबंधी शासन सुधार में हरियाणा को प्रथम पुरस्कार मिला है, इसके लिए उन्होंने सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने जी.एस.टी. में पर कैपिटा कलैक्शन में हरियाणा के प्रथम स्थान पर आने के बारे में भी सदन को सूचना दी।



20. नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया—

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम “सभा की बैठकें” के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

*प्रस्ताव रखा गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।*

21. नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया—

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

*प्रस्ताव रखा गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।*

22. कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

अध्यक्ष महोदय ने कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की :—  
समिति की बैठक मंगलवार दिनांक 19.12.2023 को दोपहर बाद 12:30 बजे अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई।

“After the discussion, it was decided by all the Members present in the meeting of the Second Business Advisory Committee that the matter relating to Shri Kartar Singh, Principal which was discussed in the House on 15.12.2023 and 18.12.2023 may not be referred to the Hon’ble High Court for investigation by a sitting Judge.

The Committee further decided that a fact finding Committee under the Chairmanship of Hon’ble School Education Minister may be constituted by the Hon’ble Speaker to investigate the said matter relating to Shri Kartar Singh, Principal for the period from 2005 to 2023 of all incidents mentioned/ discussed in the House in its sittings on 15.12.2023 and 18.12.2023.”

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया—

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

*प्रस्ताव रखा गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।*

**23. कॉफी टेबल बुक का विमोचन करना।**

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि हरियाणा की 14वीं विधान सभा के 4 वर्षों के दौरान हुए कार्यों को कॉफी टेबल बुक के माध्यम से प्रकाशित किया गया है जिसका आज विमोचन किया जा रहा है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री कंवर पाल, माननीय उपाध्यक्ष श्री रणबीर गंगवा से अनुरोध किया कि वे चेयर के नजदीक आकर कॉफी टेबल बुक का विमोचन करें। तत्पश्चात् इन सभी ने चेयर के नजदीक आकर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया।

**24. हरियाणा राज्य गीत के चयन के संबंध में सूचना देना।**

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि दिनांक 15.12.2023 को हरियाणा राज्य गीत के लिए सदन में तीनों गीतों के विकल्पों के कन्टैन्ट को रखा गया था और सुनाया भी गया था। उन्होंने सभी सदस्यों से निवेदन किया कि वे गीतों के इन तीनों विकल्पों में से अपनी पसंद अनुसार राज्य गीत के लिए प्राथमिकता के अनुसार अपना मत दें।

उन्होंने सभी माननीय सदस्यों को बताया कि सभी सदस्यों को एक विकल्प के मत के लिए एक फार्म दिया जाएगा। उस फार्म पर सदस्यगण गीतों के लिए अपनी प्राथमिकता दें।

उन्होंने यह भी बताया कि विधानसभा के दो अधिकारी श्री मुकेश गुप्ता, उप सचिव तथा श्री रविन्द्र सिंह, अधीक्षक, माननीय सदस्यों के मतों की गिनती करके उनको सूचित करेंगे कि सदस्यों के किस विकल्प के लिए सर्वाधिक मत प्राप्त हुए हैं। उसके पश्चात् ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कौन सा विकल्प हरियाणा के राज्य गीत के रूप में चयनित किया जाए।

इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री भारत भूषण बतरा, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्रीमती किरण चौधरी, श्री नीरज शर्मा, श्री अमित सिहाग, श्री आफताब अहमद, मोहम्मद इलियास तथा श्री कुलदीप वत्स ने इस विषय पर अपनी बात रखी।

सत्ता पक्ष के सदस्य श्री बिशम्बर सिंह, श्री रामकुमार गौतम, श्री ईश्वर सिंह, श्री लक्ष्मण सिंह यादव और श्री असीम गोयल ने इस विषय पर अपनी बात रखी।

उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय तथा कुछ अन्य सदस्यों ने अपनी बात रखते हुए हरियाणा राज्य गीत के चयन के लिए विधान सभा की एक कमेटी के गठन का सुझाव दिया

ताकि हरियाणा राज्य गीत के लिए सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् कमेटी अपनी रिपोर्ट एक महीने की समय सीमा के भीतर सबमिट कर सके।

**25. अध्यक्ष महोदय द्वारा हरियाणा राज्य गीत के चयन के लिए कमेटी के गठन की घोषणा**

अध्यक्ष महोदय ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री तथा अन्य सदस्यों के सुझाव पर हरियाणा राज्य गीत के चयन के लिए एक 5 सदस्यीय विधान सभा की कमेटी का गठन करने की घोषणा की। उन्होंने इस कमेटी का चेयरपर्सन श्री लक्ष्मण सिंह यादव, विधायक को, वाइस चेयरपर्सन श्री बिशम्बर सिंह, विधायक को और श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक, श्री नीरज शर्मा, विधायक तथा श्री जोगीराम सिहाग, विधायक को इस कमेटी के सदस्य बनाने की घोषणा की।

**26. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य।**

**“जींद जिले में राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न से संबंधित”**

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक से जींद जिले में राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 प्राप्त हुई जिसे उन्होंने आज के लिए स्वीकृत कर लिया है।

उन्होंने सदन को आगे सूचित किया कि उन्हें श्री बलराज कुण्डू, विधायक द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 22 प्राप्त हुई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री बलराज कुण्डू, विधायक भी चर्चा के समय अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

उन्होंने सदन को आगे सूचित किया कि उन्हें श्री भारत भूषण बतरा, विधायक तथा 3 अन्य विधायकों (श्रीमती गीता भुक्कल, श्री आफताब अहमद तथा श्री वरुण चौधरी) द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 28 प्राप्त हुई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री भारत भूषण बतरा, विधायक प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते तथा एक अन्य विधायक भी चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

उन्होंने सदन को आगे सूचित किया कि उन्हें श्री नीरज शर्मा, विधायक द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 34 प्राप्त हुई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री नीरज शर्मा, विधायक भी चर्चा के समय अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

उन्होंने सदन को आगे सूचित किया कि उन्हें श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 62 प्राप्त हुई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण

सूचना संख्या 14 के साथ जोड़ दिया गया है। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक भी चर्चा के समय अपना प्रश्न पूछ सकती हैं।

उन्होंने श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक से अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ने के लिए कहा।

श्री अभय सिंह चौटाला ने अपनी सूचना पढ़ने से पहले अध्यक्ष महोदय से कहा कि इस मामले पर दिनांक 15.12.2023 को चर्चा के दौरान सदन में यह फैसला हुआ था कि इसकी जांच हाई कोर्ट के सीटिंग जज से करवायी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कल भी इस विषय पर काफी देर विवाद हुआ था और मुख्यमंत्री जी ने एवं अध्यक्ष महोदय ने भी बार बार हाई कोर्ट के सीटिंग जज से जांच करवाने की बात कहकर कहा था कि यह हाउस का फैसला है लेकिन सरकार अपने फैसले पर 24 घंटे भी नहीं रह पायी और अपना किया हुआ फैसला बदल दिया। अध्यक्ष महोदय ने उनसे कहा कि यह हाउस का फैसला था, इस पर श्री अभय सिंह चौटाला ने कहा कि यह फैसला हाउस का नहीं बल्कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी का है। उनका यह भी कहना था कि अध्यक्ष महोदय ने हाउस का निर्णय बदलकर हाउस का अपमान किया है। अध्यक्ष महोदय ने उनसे कहा कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को भी सदन में प्रस्तुत किया गया है और सदन ने उस रिपोर्ट को स्वीकार किया है इसलिए यह फैसला भी सदन का ही है। श्री अभय सिंह चौटाला का यह भी कहना था कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी को हाउस का निर्णय बदलने के लिए माफी मांगनी चाहिए क्योंकि हाउस का फैसला बिजनैस एडवाइजरी कमेटी के फैसले से बड़ा होता है। अध्यक्ष महोदय ने उनसे कहा कि हाउस सुप्रीम है वह अपने फैसले को बदल सकता है या रिकंसीडर कर सकता है। उन्होंने पुनः श्री अभय चौटाला से अपनी सूचना पढ़ने के लिए कहा।

तत्पश्चात श्री अभय चौटाला, विधायक ने अपनी सूचना पढ़ी और इसके बाद स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया।

**27. राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, नलवा, जिला हिसार के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन।**

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने अपनी ओर से तथा सदन की ओर से राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, नलवा, जिला हिसार के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

28. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र।

संसदीय कार्य मंत्री ने नेवा पोर्टल के माध्यम से क्रम संख्या 1 से 35 कागज-पत्र सदन की मेज पर रखे।

29. विधायी कार्य-

(प्रस्तुतीकरण, विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2023

सायं 4.39 बजे मुख्यमंत्री ने हरियाणा विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2023 प्रस्तुत किया तथा यह भी प्रस्ताव किया-

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2023 पर तुरन्त विचार किया जाए।

*प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।*

तब विधेयक की क्लॉज पर विचार किया गया।

क्लॉज 2, क्लॉज 3, शिड्यूल, क्लॉज 1, इनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल एक-एक करके रखे गए तथा स्वीकृत हुए।

मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया-

कि विधेयक पारित किया जाए।

*प्रस्ताव रखा गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।*

2. हरियाणा विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 2023

सायं 4.42 बजे मुख्यमंत्री ने हरियाणा विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 2023 प्रस्तुत किया तथा यह भी प्रस्ताव किया-

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 2023 पर तुरन्त विचार किया जाए।

*प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।*

तब विधेयक की क्लॉज पर विचार किया गया।

क्लॉज 2, क्लॉज 3, शिड्यूल, क्लॉज 1, इनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल एक-एक करके रखे गए तथा स्वीकृत हुए।

मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया-

कि विधेयक पारित किया जाए।

*प्रस्ताव रखा गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।*

30. मुख्यमंत्री द्वारा ऊर्जा विभाग को राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में द्वितीय पुरस्कार तथा हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर क्राईम एण्ड क्रिमिनलज ट्रेकिंग एण्ड नेटवर्क सिस्टम प्रणाली रैंकिंग में पहला स्थान मिलने के बारे में सूचना देना।

मुख्यमंत्री महोदय ने महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु द्वारा हरियाणा राज्य को 14.12.2023 को राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन के लिए द्वितीय पुरस्कार मिलने के बारे में सदन को सूचना दी। इसके लिए उन्होंने ऊर्जा विभाग को बधाई दी।

इसके अलावा उन्होंने हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर क्राईम एण्ड क्रिमिनलज ट्रेकिंग एण्ड नेटवर्क सिस्टम प्रणाली रैंकिंग में पहला स्थान मिलने के बारे में भी सूचना दी। उन्होंने यह भी सूचना दी कि फरवरी माह में 99.99 अंकों के साथ हरियाणा पुलिस ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है इसके लिए उन्होंने पुलिस विभाग को बधाई दी।

31. मुख्यमंत्री द्वारा शून्य काल में सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों का जवाब देना।

मुख्यमंत्री महोदय ने शून्य काल में दिनांक 18.12.2023 और आज दिनांक 19.12.2023 को सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों का विस्तार से जवाब दिया।

32. मुख्यमंत्री द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव में हरियाणा राज्य को बैस्ट परफोर्मेर स्टेट का अवार्ड मिलने के बारे में सूचना देना।

मुख्यमंत्री महोदय ने सदन को सूचित किया कि शहीदों की याद में चलाये गये अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा हरियाणा राज्य को बैस्ट परफोर्मेर स्टेट का अवार्ड दिया गया है।

उन्होंने सदन को यह भी सूचित किया कि रेलवे विद्युतीकरण का काम पूरा करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है और साथ ही अब हरियाणा मे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का आंकड़ा भी कम हो गया है।

33. शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों/मांगों को उठाने की अनुमति दी। तत्पश्चात्, सर्वश्री/श्रीमती नीरज शर्मा, रेनु बाला, जगबीर सिंह मलिक, किरण चौधरी, सुभाष सुधा, मोहम्मद इलियास, लक्ष्मण नापा, हरविन्द्र कल्याण, डा. कृष्ण लाल मिहडा, जगदीश नायर, नैना सिंह चौटाला, अमरजीत ढांडा, रामकरण, धर्म सिंह छोवकर,

शकुंतला खटक, राजेश नागर, सुधीर सिंगला, बिशम्बर सिंह, शैली चौधरी, घनश्याम सर्राफ, अमित सिहाग और रामकुमार विधायकों, ने उन से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न मामलों/मांगों को उठाया।

अध्यक्ष महोदय ने सदन में बताया कि शून्य काल में बोलने के लिए और भी कई सदस्यों के नाम आए थे उन्होंने इन बाकी बचे हुए सदस्यों के नाम भी बोलने के लिए पुकारे लेकिन ये सदस्य उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए ये शून्य काल में अपनी बात नहीं रख सके।

**34. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ग्रुप "सी" की सी.ई.टी. के आधार पर की जाने वाली भर्तियों से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा से स्टे हटाने के संबंध में सूचना देना।**

शून्य काल के दौरान, मुख्यमंत्री महोदय ने सदन को सूचित किया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ग्रुप "सी" की सी.ई.टी. के आधार पर की जाने वाली भर्तियों से अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा से स्टे हटा दिया गया है। अब बाकी ग्रुप "सी" की सी.ई.टी. की भर्तियों की स्क्रीनिंग परीक्षा शुरू की जा सकेंगी। उन्होंने स्टे हटने पर माननीय सदस्यों को बधाई दी।

**35. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नए आयुष्मान कार्ड बनाने के आंकड़ों के बारे में सदन को सूचना देना।**

शून्य काल के दौरान, मुख्यमंत्री महोदय ने सूचना दी कि केन्द्र सरकार के एस.ई.सी.सी. डाटा के तहत अब तक प्रदेश में 29 लाख आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं जबकि प्रदेश की चिरायु योजना के तहत अब तक 71 लाख कार्ड बन चुके हैं। इसके अलावा आमदनी का क्राईटेरिया 1.80 हजार से 3 लाख करने के बाद बनी योजना के तहत 58 हजार कार्ड और बन चुके हैं। इस तरह से इसका टोटल आंकड़ा लगभग 1,00,48,464 पर पहुंच गया है। इसके लिए उन्होंने सदन के सदस्यों को बधाई भी दी।

**36. श्री भारत भूषण बतरा तथा श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक द्वारा उप मुख्यमंत्री के विरुद्ध दिए गए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के नोटिस का मामला उठाना।**

श्री भारत भूषण बतरा तथा श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक ने उनके तथा उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों द्वारा उप मुख्यमंत्री के विरुद्ध दिए गए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के नोटिस का मामला उठाते हुए अध्यक्ष महोदय से इसका परिणाम जानना चाहा। अध्यक्ष महोदय ने उनको बताया कि उनका यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस अस्वीकृत हो गया है। श्री भारत भूषण बतरा ने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि इस बारे में उन्होंने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसिज लिखकर दिए

हैं उन्हें जांच समिति के पास जरूर भेजा जाए। अध्यक्ष महोदय ने उनको बताया कि यह सब जांच समिति ही देखेगी।

**37. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा धन्यवाद तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद एवं क्रिसमस, नव वर्ष, लोहड़ी और मकर संक्रांति त्यौहार की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना।**

सदन के अनिश्चित काल तक स्थगित होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री ने विधान सभा अध्यक्ष का, समस्त सदस्यगणों का सदन को सुचारु रूप से चलाने में अपना सहयोग देने के लिए आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया।

अध्यक्ष महोदय ने भी सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिए सदन के समस्त सदस्यगणों का उन्हें अपना सहयोग देने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने वर्तमान सत्र के दौरान सभी प्रैस प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों तथा हरियाणा विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों का भी उन्हें अपना सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त किया।

उन्होंने सभी को क्रिसमस, नव वर्ष, लोहड़ी एवं मकर संक्रांति त्यौहार की भी बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं दी।

सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री मोहन लाल बड़ोली, विधायक ने मध्याह्न पश्चात 1.01 बजे से भोजनावकाश तक तथा उपाध्यक्ष महोदय ने भोजनावकाश के बाद मध्याह्न पश्चात 2.33 बजे से मध्याह्न पश्चात 3.00 बजे तक सदन की अध्यक्षता की

तब सभा अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुई।

.....